राजभाषा गृह पत्रिका

मंथन

अंक – प्रवेशांक (प्रथम)

(अप्रैल–सितंबर, 2019)

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

उपलब्धियाँ

नराकास दिल्ली उपक्रम–2 द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सर्वोत्तम राजभाषा कार्यान्वयन एवं श्रेष्ठ राजभाषा प्रदर्शनी हेतु शील्ड प्राप्त करते हुए डीएफसीसी के प्रबंध निदेशक श्री अनुराग सचान

नराकास दिल्ली उपक्रम–2 के तत्वावधान में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान राजभाषा प्रदर्शनी में श्रेष्ठता का प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए

नराकास दिल्ली उपक्रम–2 के तत्वावधान में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में मंचासीन अतिथियों के बीच उपस्थित श्री वी.के. सक्सेना, सहायक प्रबंधक (रा.भा.)

मॉरीशस में आयोजित 11वें विश्व हिन्दी सम्मेलन में सहभागिता करते हुए उप मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री सुन्दर सिंह

राजभाषा पत्रिका "मंथन" प्रवेशांक

मुख्य संरक्षक
श्री अनुराग सचान
प्रबंध निदेशक

संरक्षक
श्री सत्य नारायण जोशी
मुख्य राजभाषा अधिकारी

प्रधान संपादक
श्री सुंदर सिंह
उप मुख्य राजभाषा अधिकारी

संपादक
श्री विजय कुमार सक्सेना
सहायक प्रबंधक / राजभाषा

उप संपादक
श्री राकेश शर्मा
सलाहकार / राजभाषा

संपादकीय सहयोग
- श्री विप्लव कुमार
  समूह महाप्रबंधक / व्यवसाय विकास
- सुश्री अपर्णा त्रिपाठी
  महाप्रबंधक / वित्त

(संपादक मंडल का लेखकों के विचारों से सहमत होना अनिवार्य नहीं है।)

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
पांचवा तल, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली–110001
फोन नं. 011–23454717,
फैक्स– 011–23454700
ई–मेल : rajbhashapatrika@dfcc.co.in

विषय–सूची

		पृष्ठ सं.
1.	अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड का संदेश	4
2.	प्रबंध निदेशक का संदेश	5
3.	मुख्य राजभाषा अधिकारी का संदेश	6
4.	प्रधान संपादक की कलम से	7
5.	संपादकीय	8
6.	डीएफसीसीआईएल - एक नज़र	9
7.	राजभाषा की संवैधानिक स्थिति	11
8.	नियति - बिप्लव कुमार	13
9.	गीतों के राजकुमार, शब्द शिल्पी और कविराज - शैलेंद्र की स्मृतियां - के. मधुसूदन	14
10.	आस्था - अपर्णा त्रिपाठी	17
11.	राजभाषा अधिनियम, 1963	18
12.	समाज में बेटियों का महत्व - शालिनी	21
13.	बस यही चाहिए - सम्पत लोहार	23
14.	राजभाषा नियम, 1976	26
15.	बेटियां - रूना जैन	29
16.	कविता - राकेश शर्मा	30
17.	भारत के वीर - दिनेश कुमार गोयल	30
18.	डीएफसीसीआईएल के निर्माण कार्यों को त्वरित रूप से पूर्ण करने के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग - प्रवीण कुमार	31
19.	अधूरे प्रसंग, मैं और मेरा अकेलापन -सुजाता शर्मा	33
20.	विविध सरकारी प्रयोजनों में हिंदी का प्रयोग	34
21.	भारतीय रेल, हमारी रेल-मुहम्मद तनवीर खॉन	36
22.	भर्ती / विभागीय परीक्षाओं में राजभाषा संबंधी प्रावधान	37
23.	खिलौना - तेज प्रताप नारायण	39
24.	भ्रष्टाचार - सपना	42
25.	त्याग व समर्पण की अनुभूति है प्रेम - राकेश सुन्द्रियाल	43
26.	कब बड़े हो गए हम - अमित सक्सेना	44
27.	फाइलों पर लिखी जाने वाली टिप्पणियां	45

विनोद कुमार यादव
VINOD KUMAR YADAV

सत्यमेव जयते

अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड
एवं
पदेन प्रमुख सचिव, भारत सरकार
रेल मंत्रालय
CHAIRMAN, RAILWAY BOARD
&
EX-OFFICIO PRINCIPAL SECRETARY
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि डेडीकेटड फ्रेट कोरीडोर की राजभाषा गृह पत्रिका '' मंथन'' के प्रवेशांक का प्रकाशन किया जा रहा है।

हिंदी भाषा के प्रयोग की लोकप्रियता एवं सर्वाधिक व्यापकता के साथ–साथ कार्यालय के दैनिक कार्यालयीन कार्यों में संवैधानिक आवश्यकताओं को पूर्ण करना हम सभी का उत्तरदायित्व है। पत्रिका में प्रकाशित लेख, रचनाएँ, कहानियां, जानकारियाँ आदि आपकी सृजनात्मक प्रतिभा को परिलक्षित करती हैं। पत्रिका के माध्यम से डीएफसी के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही गतिविधियों की जानकारी के प्रकाशन से सूचनाओं का आदान–प्रदान होता है, जो हमें और बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।

इस नवीन प्रयास के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ।

(विनोद कुमार यादव)

संदेश

मुझे कॉर्पोरेट कार्यालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी राजभाषा गृह पत्रिका 'मंथन' के प्रथम अंक के प्रकाशन के माध्यम से आप सभी तक सीधे ही पंहुचने पर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इस कार्य के लिए मैं सर्वप्रथम, राजभाषा विभाग कॉर्पोरेट कार्यालय की सम्पूर्ण टीम को बधाई देता हूँ। भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में हिन्दी भाषा और देवनागिरी लिपि की स्वीकार्यता 14 सितम्बर, 1949 को होने के पश्चात से ही केंद्र सरकार एवं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों का संवैधानिक दायित्व हो गया कि वे अपने सरकारी दैनिक कार्यों में हिन्दी का अधिकतम प्रयोग करें।

आप सभी सहमत होंगे कि जैसे–जैसे हम निर्माण चरण की अवस्था से परिचालन चरण में प्रवेश कर रहे हैं वैसे–वैसे हमारा कार्य और भी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहा है तथा इसका रुप भी परिवर्तित हो रहा है। हम सभी को एक व्यावसायिक दृष्टिकोंण अपनाते हुए और अधिक सकारात्मक सोच के साथ तेजी से कदम ताल करने की आवश्यकता होगी तथा सभी विभागों को अपना शत प्रतिशत योगदान देना होगा तभी तो हम समयबद्ध लक्ष्यों को पूरा करते हुए अपने को वैश्विक स्पर्धात्मक बाज़ार में खड़ा कर पाएंगे।

मुझे सूचित करते हुए हर्ष है कि राजभाषा विभाग ने भी अन्य विभागों के साथ कदम बढ़ाते हुए अपने कौशल से हमारी संस्था की सभी मुख्य नियमावलियों, आचार संहिताओं, वार्षिक रिपोर्ट और बेवसाइट की विषय–वस्तु का अनुवाद संबंधी कार्य सराहनीय रुप में पूरा कर लिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि निश्चित ही हमारी संस्था में प्रतिभाशाली अधिकारियों एवं कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या है, जरुरत है कि हम सभी एक बेहतर समन्वय, सहयोग एवं टीम भावना के साथ काम करते हुए अपने लक्ष्यों की ओर और तेजी से बढ़ें।

अंत में, मैं उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हार्दिक बधाई देता हूँ जिन्होंने 'मंथन' पत्रिका के इस अंक में अपनी रचनाएँ प्रकाशनार्थ भेजी हैं और आशा करता हूँ कि आप सभी का सहयोग पत्रिका की सफलता हेतु भविष्य में भी प्राप्त होता रहेगा।

शुभकामनाओं सहित,

अनुराग

(अनुराग सचान)

प्रबंध निदेशक

संदेश

मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि डीएफसीसी की राजभाषा गृह पत्रिका ''मंथन'' का प्रथम अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है। भाषा भावों की संवाहिका होती है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें हम अपने विचारों और भावनाओं को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त कर सकते हैं। आज पूरे देश में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है।

पत्रिका में हिंदी की संवैधानिक जानकारी के साथ-साथ कर्मियों की रचनाओं को यथोचित स्थान देने का प्रयास किया गया है। हिंदी का जितना प्रचार-प्रसार होगा, उतना ही देश की एकता और अखण्डता के लिए अच्छा होगा । आशा है कि ''मंथन'' पत्रिका का प्रवेशांक आपको ज्ञानवर्धक एवं रोचक लगेगा।

भविष्य में पत्रिका को और रूचिकर बनाने के लिए आपके सुझावों एवं रचनाओं की प्रतीक्षा रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ,

(सत्य नारायण जोशी)
मुख्य राजभाषा अधिकारी
एवं समूह महाप्रबंधक/आरओबी/पूर्वी कोरीडोर

प्रधान संपादक की कलम से

डीएफसीसी की राजभाषा गृह पत्रिका ''मंथन'' के प्रवेशांक को प्रस्तुत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। डीएफसीसीआईएल राजभाषा के प्रयोग–प्रसार एवं कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। पत्रिका के इस अंक में राजभाषा के संवैधानिक प्रावधानों के साथ–साथ अधिनियमों, नियमों आदि की जानकारी तथा अधिकारियों/कर्मचारियों की रचनाओं का समावेश करने का प्रयास किया गया है। इसी के साथ अधिकारियों द्वारा दैनिक कार्यों में लिखी जाने वाली टिप्पणियों के कुछ नमूनों को भी प्रकाशित किया गया है।

आशा है कि ''मंथन'' पत्रिका का प्रवेशांक आपको पसंद आएगा। अगले अंक में अपेक्षित सुधार के लिए सुधी पाठकों के सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

शुभकामनाओं सहित,

(सुन्दर सिंह)

उप मुख्य राजभाषा अधिकारी

एवं अपर महाप्रबंधक/मानव संसाधन

संपादकीय

राजभाषा पत्रिका ''मंथन'' का प्रथम अंक प्रस्तुत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। पत्रिका के इस अंक में डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों के लेख, कविताएं आदि प्रकाशित की गई हैं। इससे अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी साहित्यिक प्रतिभा को प्रकट करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। पत्रिका में राजभाषा की संवैधानिक व्यवस्था, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम आदि की जानकारी को समाहित करने का प्रयास किया गया है। इससे हमारे कर्मियों को राजभाषा के बारे में महत्वपूर्ण एवं आवश्यक जानकारी मिलेगी। पत्रिका में अधिकारियों द्वारा दैनिक कार्य में लिखे जाने वाले छोटे–छोटे वाक्य एवं शब्द भी दिए गए हैं जिससे वे अपने दैनिक सरकारी कार्य में इनका उपयोग कर राजभाषा हिंदी के प्रयोग प्रसार को बढ़ा सकें।

पत्रिका के प्रकाशन में माननीय प्रबंध निदेशक, मुख्य राजभाषा अधिकारी, उप मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं संपादक मंडल का जो सहयोग एवं प्रेरणा मिली हैं उन सभी का मैं तहेदिल से आभार प्रकट करता हूं, साथ ही उन अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अपनी रचनाएं प्रेषित कर पत्रिका के प्रकाशन में अमूल्य सहयोग प्रदान किया।

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं को रूचिवर्धक बनाने का प्रयास किया गया है। मेरा सभी जागरूक पाठकों से अनुरोध है कि वे आगामी अंक में सुधार के लिए अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें ताकि आगामी अंक को और अधिक रोचक बनाया जा सके।

(विजय कुमार सक्सेना)

सहायक प्रबंधक (राजभाषा)

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड - एक नज़र

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्थापित एक विशेष प्रयोजन संस्था है। इसे डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोरों की योजना एवं विकास, वित्तीय संसाधनों को गतिशील करने और निर्माण, रख-रखाव व परिचालन के लिए भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन अक्टूबर 2006 में गठित किया गया।

डीएफसीसीआईएल को रेल मंत्रालय के 100% अंशदान के साथ 30 अक्टूबर, 2006 को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत शुरू किया गया। डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर की संकल्पना चार महानगरों को जोड़ने वाले स्वर्णिम चतुर्भुज पर रेल यातायात के लगातार बढ़ते दबाव के कारण की गई। भारतीय रेल का यह नेटवर्क, जो चार महानगरों, दिल्ली, मुंबई, चेन्नै और हावड़ा को जोड़ता है और जिसे आमतौर पर स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है, अत्यधिक ट्रैफिक दबाव वाला नेटवर्क है। इसके दो विकर्णों (दिल्ली, चेन्नै और मुंबई-हावड़ा) को जोड़ देने पर इस रूट की कुल लंबाई 10,122 किमी. हो जाती है, जिस पर लगभग 58% से अधिक माल-भाड़ा ढोया जाता है।

भारतीय रेल राष्ट्र की जीवन रेखा है। देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ इसकी ऊर्जा जरूरतें भी लगातार बढ़ रही हैं। इन्हें पूरा करने के लिए भारी मात्रा में कोयला ढुलाई की जरूरत है। इसके अलावा औद्योगिक विकास की गति को तेज करने और मूलभूत ढांचा निर्माण के लिए भी माल यातायात प्रणाली को सुदृढ़ बनाना जरूरी है। भारतीय रेल के पूर्वी और पश्चिमी रूटों पर लगातार बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने रेल मालभाड़ा यातायात की अतिरिक्त क्षमता के लिए मांग उत्पन्न की, जिससे डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर परिकल्पना ने जन्म लिया। पहले चरण में भारत सरकार ने दो कोरीडोरों के निर्माण की स्वीकृति दी है, जिनकी कुल लंबाई लगभग 3,360 रूट किलोमीटर है। इनमें पश्चिमी डीएफसी की लंबाई 1,504 रूट किलोमीटर है, जबकि पूर्वी डीएफसी 1,856 किलोमीटर लंबा है।

पूर्वी कोरीडोर, जो पश्चिम बंगाल के दानकुनि से शुरू होगा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से होते हुए पंजाब के लुधियाना पर समाप्त होगा। जबकि, उत्तर प्रदेश के दादरी और मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) को जोड़ने वाला पश्चिमी कोरीडोर एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरेगा।

1. विजन

- कुशल एवं ग्राहक सकेंद्रित विश्वसनीय सेवाओं के जरिए रेलवे की बाजार हिस्सेदारी को बनाए रखने एवं विस्तारित करने के लिए भारतीय रेलवे के साथ साझेदारी स्थापित करना।

2. मिशन

- उपयुक्त तकनीक के साथ ऐसे कोरीडोरों का निर्माण करना, जिनसे भारतीय रेल ग्राहकों को माल यातायात के ऐसे विकल्प उपलब्ध करा सके, जो अतिरिक्त क्षमता वाले हों एवं गारंटी युक्त, कुशल, विश्वसनीय, सुरक्षित तथा सस्ते हों ताकि भारतीय रेल माल-यातायात के बाजार में अपनी खोई हिस्सेदारी वापस हासिल कर सके।
- सरकार द्वारा पर्यावरण सुरक्षा के प्रति उठाए गए कदमों को मजबूती प्रदान करना। इसके लिए उपयोगकर्ताओं को उनके माल यातायात जरूरतों को पूरा करने हेतु रेलवे को सर्वाधिक पर्यावरण-हितैषी साधन के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- स्वर्णिम चतुर्भुज और इसके विकर्णों को जोड़ने वाले रूटों के लिए भविष्य में यदि अन्य कोरीडोरों का निर्माण किया जाता है, तो डीएफसीसीआईएल उन कार्यों को भी निष्पादित करेगा।

3. डीएफसी के उदेश्य

- प्रति ट्रेन अधिक क्षमता में माल ढुलाई के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी ज्ञान के साथ विश्वस्तरीय रेल आधारभूत संरचना का निर्माण करना।
- समग्र ट्रांसपोर्ट कुशलता में बेहतरी लाना।
- ग्राहकों को गारंटीयुक्त, तेज ऊर्जा दक्ष एवं पर्यावरण हितैषी ट्रांसपोर्ट प्रदान करना।
- समग्र सप्लाई चेन मैनेजमेंट को प्रोत्साहित करना।
- ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स की प्रति ईकाई लागत में कमी लाना।
- माल यातायात बाजार में रेलवे की हिस्सेदारी को बढ़ाना।

4. अधिदेश (Mandate)

- डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोरों की आधारभूत संरचना का नियोजन, निर्माण एवं रख-रखाव का कार्य।
- निर्णय प्रक्रिया एवं कार्य निष्पादन प्रणाली में स्वतंत्रता, जो बाजार एवं व्यवसाय सक्रेंदित हो।
- कंसेशन एग्रीमेंट के तहत सौंपे गए उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में रेलवे अधिनियम 1989 के अंतर्गत रेलवे प्रशासन का दर्जा।
- भारतीय रेल के कम से कम 70 प्रतिशत माल-भाड़ा यातायात का डीफसीसीआईएल में हस्तांतरण।
- कोरीडोरों के इस्तेमाल के लिए भारतीय रेल एवं अन्य अधिकृत रेल ऑपरेटरों से ट्रैक एक्सेस चार्ज वसूल करना।
- डीएफसीसी, भारतीय रेल एवं अन्य योग्यता प्राप्त परिचालकों की मालगाड़ियों को बिना किसी भेद-भाव के अपने कोरीडोरों को इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराएगा।

5. डीएफसीसी की विशेषताएं

डीएफसीसी माल यातायात की प्रति ईकाई लागत में कमी लाने के साथ-साथ माल ढुलाई प्रक्रिया में उल्लेखनीय बदलाव लाएगा। इसका कारण हैं डीएफसी की निम्नलिखित विशेषताएं:

- कम परिचालन एवं रख-रखाव लागत।
- अधिक कुशलता के साथ लीन ऑर्गनाइजेशन।
- अधिक ढुलाई (थ्रूपुट) प्रति वैगन एवं प्रति ट्रेन।
- ऊर्जा की कम खपत।

6. परिचालन संबंधी विशेषताएं (Operating Features)

- एंड ऑफ ट्रेन टेलिमट्री सिस्टम (EOTT) - गार्ड रहित ट्रेनें चलेंगी।
- दो स्टेशनों के बीच औसत दूरी 40 किलोमीटर।
- अधिकतम स्वीकृत गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा।
- टाइम-टेबल से ट्रेनें चलाने का प्रावधान।
- अधिक लंबाई व क्षमता वाली ट्रेनें चलाने की सुविधा।
- पश्चिमी डीएफसी पर डबल स्टैक कंटेनर का परिचालन, थ्रुपुट 360 टीईयू प्रति ट्रेन।

7. उन्नत प्रौद्योगिकी एवं अविष्कार

- पूरी तरह मशीनीकृत न्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन मशीन (NTC) न के उपयोग से भारतीय रेल में पहली बार मैकेनाइज्ड तरीके से ट्रैक निर्माण किया जा रहा है। न्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन मशीन (NTC) न सिर्फ कुशलतापूर्वक एवं सटीक तरीके से ट्रैक बिछाने का कार्य करती है, बल्कि भारी-भरकम पटरियों और स्लीपरों को भी इस मशीन पर लोड किया जा सकता है। इस प्रकार मशीन से ट्रैक बिछाने की प्रक्रिया में तेजी आती है, और प्रतिदिन 1.5 किमी. तक ट्रैक बिछाया जा सकता है।
- कैंटेड टर्न आउट्स का उपयोग।
- डीएफसीसी में 260 मीटर लंबे वेल्डेड रेल पैनलों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे पटरियों को फील्ड में वेल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अतिरिक्त फ्लैश बट वेल्ड की क्वालिटी भी काफी अच्छी हुई है, क्योंकि इनका निर्माण स्थायी वेल्डिंग प्लांटों में किया जा रहा है।
- ब्रिजों में गोलाकार बेरिंगों (Spherical Bearings) और स्टेशन यार्डों पर फ्रिक्शन बफर स्टॉप का प्रयोग।
- 60 किलोग्राफ कर्व्ड थिक वेब स्विचों का प्रयोग।
- रनिंग ट्रैक पर रूलिंग ग्रेडिएंट 1: 200
- यूनिडायरेक्शनल ऑटोमैटिक सिगनलिंग 2 किलोमीटर इंटर–सिगनल दूरी के साथ।
- एल.ई.डी लाइट मल्टी - अस्पैक्ट कलर लाइट सिगनल के साथ इंटर - लॉकिंग सिस्टम वाले स्टेशन।
- मोबाइल रेडियो ट्रेन कम्युनिकेशन सिस्टम (GSM-R)।
- 2x25 केवी, 50 हर्टज एसी ट्रैक्शन फीडिंग सिस्टम।
- अधिक सुरक्षा के लिए ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम (TPWS) का उपयोग।

"हिन्दी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है।"

स्वामी दयानंद

राजभाषा की संवैधानिक स्थिति

राजभाषा की संवैधानिक स्थिति पर चर्चा करने से पहले हमें इतिहास के कुछ पृष्ठ पलटने होंगे। हम सभी जानते हैं कि हिंदी हमारे स्वतंत्रता संग्राम से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। महात्मा गांधी के जन-आंदोलन के साथ-साथ, हिंदी संपर्क भाषा के रूप में संपूर्ण भारत के दूर-दराज के इलाकों तक पहुंच गई। उस समय विभिन्न राजनैतिक संगठनों, धर्मों, संप्रदायों के सामने केवल एक ही उद्देश्य था, स्वतंत्रता की प्राप्ति। इस महान उद्देश्य के सामने भाषायी संकीर्णता तथा क्षेत्रीयता महत्वहीन हो गई थी परंतु स्वतंत्रता प्राप्त होते ही जब संविधान निर्माताओं के समक्ष स्वतंत्र देश की एक राजभाषा का निर्णय करने का समय आया तो इस विषय पर कई मतभेद उभर कर सामने आने लगे। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को हुई और लगातार दो ढाई वर्ष तक संविधान निर्माण का कार्य चलता रहा। संविधान सभा में राजभाषा पर तीन दिन तक लंबी बहस के पश्चात 14 सितंबर, 1949 को स्वतंत्र भारत के संविधान में हिंदी को सर्वसम्मति से राजभाषा का स्थान दे दिया गया। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक में राजभाषा संबंधी विशेष प्रावधान दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं :

अनुच्छेद-343-राजभाषा और अंकों का प्रयोग:

343(1)- भारत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। संघ के सरकारी कार्यों में भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूपों का प्रयोग होगा।

343(2)- संविधान लागू होने से (26 जनवरी 1950) 15 वर्ष (26 जनवरी 1965) तक अंग्रेजी भाषा सरकारी कार्यों में पूर्ववत चलती रहेगी। इस अवधि में राष्ट्रपति सरकारी कार्यों में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी तथा भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप के प्रयोग को आदेश द्वारा प्राधिकृत कर सकते हैं।

343(3)-संसद 26 जनवरी 1965 अर्थात 15 साल के बाद भी अंग्रेजी भाषा या देवनागरी अंकों के प्रयोग को विधि द्वारा विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में जारी रख सकेगी।

अनुच्छेद-344-राजभाषा आयोग का गठन:

संविधान के प्रारंभ से 5 और 10 वर्षों की समाप्ति पर राष्ट्रपति, हिंदी के विकास और प्रयोग की स्थिति का जायजा लेकर उसके प्रगामी प्रयोग को निश्चित करने के लिए आयोग का गठन करेंगे। 343 (4)- आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए 30 सदस्यों की संसदीय समिति (जिसमें लोकसभा के 20 एवं राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे) गठित की जाएगी। समिति अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजेगी। तदनुसार राष्ट्रपति आदेश जारी करेंगे।

अनुच्छेद-345-राज्यों की राजभाषाएं:

राज्यों के विधान मंडल अपने राज्य में सरकारी प्रयोजनों के लिए स्थानीय भाषाओं या हिंदी को अंगीकार करेंगे। जब तक विधि द्वारा ऐसा उपबंध नहीं किया जाता, तब राज्य के सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग पूर्ववत जारी रहेगा।

अनुच्छेद-346- संघ (केंद्र) और राज्य अथवा राज्यों के बीच संचार की भाषा:

संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए उस समय प्रयुक्त/प्राधिकृत भाषा ही राज्य और संघ तथा राज्यों के बीच संपर्क भाषा रहेगी। यदि दो या अधिक राज्य अपनी आपसी सहमति से पत्राचार में हिंदी का प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं।

अनुच्छेद-347-राज्यों में द्वितीय राजभाषा:

यदि किसी राज्य के जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को शासकीय मान्यता प्रदान करने की मांग की जाती है तो राष्ट्रपति उस भाषा को राज्य के सभी या कुछ शासकीय प्रयोजनों के लिए मान्यता देने के आदेश देंगे।

अनुच्छेद-348-उच्चतम न्यायालय-उच्च न्यायालय और अधिनियमों आदि की भाषा:

जब तक कोई व्यवस्था न की जाए, तब तक उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की कार्यवाही अंग्रेजी में होगी। केंद्र और राज्यों के सभी अधिनियमों, विधेयकों, अध्यादेशों, आदेश, नियम, विनिमय, उपविधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे। साथ ही राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की अनुमति से राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी अथवा राज्य की राजभाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा (निर्णय, आज्ञप्ति, आदेश के लिए नहीं)

अनुच्छेद-349- भाषा संबंधी कुछ विधियों को अधिनियमित करना (संघ की राजभाषा में संशोधन):

संविधान में प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान उच्चतम–उच्च न्यायालयों की कार्यवाही अंग्रेजी के अलावा अन्य किसी भाषा में करने अथवा शासकीय प्रयोजनों में प्रयुक्त भाषा के लिए कोई संशोधन लोकसभा/राज्यसभा में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही लाया जाएगा।

अनुच्छेद-350-व्यथा निवारण के लिए संघ की राजभाषा:

कोई भी व्यक्ति अपनी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी भी पदाधिकारी को संघ या राज्य में उस समय प्रयुक्त राजभाषा में अभ्यावेदन दे सकता है। अनुच्छेद 350 ''क'' के अनुसार भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए प्राथमिक स्तर में मातृ भाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए। 350 ''ख'' विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति।

अनुच्छेद-351- हिंदी के विकास के लिए निर्देश:

हिंदी भाषा का प्रसार, विकास करने, उसे भारत की सामासिक संस्कृति के तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने की जिम्मेदारी केंद्रीय सरकार की होगी। इसलिए राजभाषा हिंदी अपना शब्द भंडार मुख्यतः संस्कृत और गौणतः आठवीं अनुसूची में सम्मिलित अन्य भारतीय भाषाओं से ग्रहण कर अपने आपको समृद्ध करेगी।

संसद में प्रयोग होने वाली भाषा:

अनुच्छेद 120:- भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। परंतु, यथास्थिति राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न हो तक तब इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि या अंग्रेजी में ये शब्द उसमें ये लुप्त कर दिए गए हों।

विधान मंडल में प्रयोग होने वाली भाषा:

अनुच्छेद 210:- भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान-मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। परंतु यथास्थिति, विधानसभा का अध्यक्ष या विधान सभा का सभापति अथवा ऐसे में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकता (यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं है) ।जब तक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न हो तब तक इस संविधान में प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि अंग्रेजी में ये शब्द उसमें से लुप्त कर दिए गए हैं।

संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं

(1) असमिया	(2) उड़िया	(3) उर्दू	(4) कन्नड़
(5) कश्मीरी	(6) गुजराती	(7) तमिल	(8) तेलुगू
(9) पंजाबी	(10) बांग्ला	(11) मराठी	(12) मलयालम
(13) संस्कृत	(14) सिंधी	(15) हिंदी	(16) मणिपुरी
(17) नेपाली	(18) कोंकणी	(19) संथाली	(20) बोडो
(21) डोगरी	(22) मैथिली		

"हिन्दी भारतीय संस्कृति की आत्मा है।"

कमलापति त्रिपाठी

नियति

(बिप्लव कुमार)
समूह महाप्रबंधक / व्यवसाय विकास
कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली

दीवारें गिरती होंगी जब बदन पर,
तो धर्म क्या करता होगा,
धरती जब हिलती होगी,
तो हमारा अहम् क्या करता होगा?

चूर हो जाते होंगे सपने सारे,
विकल हो जाते होंगे अपने सारे,
जीवन भर पोसे नए नफरतों का,
ब्याज क्या कुछ मिलता होगा?

घर पर रोटी लाने वाले,
अलविदा कह जाते होंगे,
बच्चों से मॉ, बाप छिन जाते होंगे,
धरती जब हिलती होगी,
तो मेरे शहर का उन्माद क्या,
कुछ पिघलता होगा?

जब दीवारें गिरती होंगी,
धरती करवट बदलती होगी,
तो क्या सत्ता की सड़न का,
आतताईयों के दमन का,
और गरीबों की उपेक्षा से जन्मे
दहन का असर कम होता होगा?

जब धरती हिलती होगी,
तो दंभ भरे जीवन का, हमारी
बद दुआओं का, दोस्तों का दुश्मनों
का, छोटेपन का क्या होता होगा,
न जाने यम अपने सफर में,
इस कहर में, किसको बख्शता होगा?
जब दीवारें गिरती होंगी.....

गीतों का राजकुमार, शब्द शिल्पी और कवि राज-शैलेंद्र की स्मृतियाँ

के. मधुसुदन
समूह महाप्रबंधक/ सिगनल एवं दूरसंचार

रेलवे की युवा पीढ़ी को यह जानकर हैरानी हो सकती है कि एक बार रेलवे परिवार के हमारे ही सदस्यों में से एक शख्सियत ने ऊंचाइयों को छूने के लिए अपने कदम और आगे बढ़ाए और वे भारतीय फिल्म जगत के एक प्रसिद्ध गीतकार बन गए, वे कोई और नहीं शैलेंद्र थे। फुटपाथ से लेकर मुंबई के शानदार बंगलों में रहने वाले गीत-संगीत प्रेमी उनकी गीत लेखन शैली के दीवाने हो गए थे। हालांकि, वे अपने गीतों की महक को स्वतंत्रता प्राप्त होने के 20 बसंतों तक ही ले जा सके। उनके मधुर गीत बॉलीवुड के स्वर्णिम युग की फिल्मों के यादगार गीतों में बदल गए, जो सभी बूढ़े व जवानों के दिल में अमर यादों के साथ स्मृति में घुल गए।

फिल्म आवारा (1951) का गीत ''आवारा हूँ'', और फिल्म श्री 420 (1956) का गीत ''मेरा जूता है जापानी'' हिंदी भाषा में लिखे वो गीत थे जो देश ही नहीं पूरे विश्व में सबसे अधिक लोकप्रिय गीतों में शामिल हुए, जिनकों शैलेंद्र जी ने कलमबद्ध किया था। उनके पास गीत लेखन की अलौकिक शैली थी, जो केवल समझने में ही आसान नहीं थी, बल्कि आकर्षक व लुभावनी थी, जिससे उनको उस समय और आने वाले समय के सफल गीतकार बनाने में तेजी से सफलता दिलाई।

शैलेंद्र की खासियत उनके द्वारा गीतों के लिखने की क्षमता में निहित थी, जिनको आसानी से गाया जा सकता था, लेकिन उन गीतों में इतना आकर्षण है कि उनके गहरे भाव सुनने वाले के दिल की गहराईयों तक उतर जाते हैं। उनके गीत लेखन शैली की नजाकत इतनी असाधारण थी, कि वे एक दार्शनिक अंदाज से लिखते हुए उसे साधारण सा बना देते थे। उनके गीत प्रकृति, बचपन, रोमांस, उदासी, दर्द, प्रेम, आशावाद, आध्यात्मिकता व कभी-कभी हास्य व विंडबना से ओत-प्रोत होते थे- यहां तक कि, आज भी उनके द्वारा लिखे गीतों की विविधताएं बेजोड़ हैं। यही विशेषताएं, उनको एक सदाबहार सर्वोत्तम फिल्म गीतकार बनाती हैं। फिल्म ''अनाड़ी'' (1956) के लिए लिखे गए गीत पर गौर फरमायें...

'' किसी की मुस्कराहटों पे हो निसार
किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार
किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार
जीना इसी का नाम है''

साल 1949 मैं राज बैनर तले बनी फिल्म ''बरसात '' के लिए लिखा गया गाना न केवल फिल्म का शीर्षक गीत बन गया बल्कि संगीत प्रेमियों के दिलों दिमाग में छा गया, जिसने शैलेंद्र की गीत लिखने की क्षमता को एक नई पहचान दी।

''बरसात में हमसे मिले तुम सजन
तुमसे मिले हम बरसात में''

शैलेंद्र की लेखन शैली इतनी संगीतमय थी कि वह दिल को छू जाती थी। आप पाएंगे कि जहां चोरी-चोरी फिल्म के मुख्य पात्र एक ड्रीम स्वीकेंस में एक कठपुतली की तरह अभिनय करते हुए...

''जहां में जाती हूं वहीं चले आते हो
चोरी-चोरी मेरे दिल में समाते हो''

यह गाना भी चोरी-चोरी (1956) सदाबहार फिल्म का शीर्षक गीत बन गया। उनके गीत जमीनी हकीकत से रुबरू होते थे, जिनके द्वारा गरीबों के शोषण को बताया जाता था, साथ ही एक गरीब की अनभिज्ञता, भोलेपन और उसके द्वारा गरीब समाज के लिए किए गए प्रयासों के द्वारा दिन भर मेहनत करने के बाद भी खुश रहने का अंदाज व्यक्त होता था। फिल्म 420 (1955) के गीत ''रमैया वस्तावैया'' से बेहतर और कोई गीत नहीं हो सकता, जो उनकी इस विशेषता को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करता हो, जिसमें वे कहते हैं कि

''नैनों में थी प्यार की रोशनी
तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी
तू और था तेरा दिल और था
तेरी मन में ये मीठी कटारी न थी''

और यह भी

''उस देश में तेरी पर देश में
सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल
इस गांव में दर्द की छांव में
प्यार के नाम पर तड़पते हैं दिल''

और गीत का वो दृश्य (एक बड़ी आलीशान इमारत के नीचे घर विहीन मजदूर एक-दूसरे का मनोरंजन कर रहे हैं)

''चली कौन से देश गुजरिया तू सज-धज के'' एक अन्य गीत था जो कि राजकपूर की फिल्म बूट पॉलिश (1954) के लिए लिखा गया, जिसको फिल्म फेस्टिवल अवार्ड मिला।

शैलेंद्र जी में, परिस्थितियों को गीतों में परिवर्तित करने की कुशलता थी। सरलता ही उनके जीवन की विशेषता थी जो कि फिल्म 420 (1956) के इस गाने में दिखाई देती है।

''दिल का हाल सुने दिलवाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला
छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूं मां के नसीब का बेटा''

शैलेंद्र का जन्म वर्ष 1923 में रावलपिंडी (अब पाकिस्तान) में हुआ, जिनके जन्म का नाम शंकरदास केसरीलाल था। आर्थिक हालात खराब होने के कारण उनके पिता मथुरा में रहने लगे। उनका बड़ा भाई रेलवे रिपेयर वर्कशॉप मथुरा में कार्यरत था। उन्होंने भी रेलवे वर्कशॉप मथुरा में कार्य करना शुरू कर दिया। श्री शैलेंद्र के पूर्वज बिहार राज्य के रहने वाले थे।

बाद में शैलेंद्र मुंबई आ गए और उन्होंने साल 1947 में परेल वर्कशॉप में वेल्डर के रूप में काम किया। मुंबई में शैलेंद्र ने कविताएं लिखना प्रांरभ किया। एक कवि सम्मेलन के दौरान फिल्म निर्माता राजकपूर का ध्यान शैलेंद्र द्वारा पढ़ी जा रही कविता ''जलता है पंजाब'' की ओर गया। यह कविता जलियां वाला बाग सामूहिक नरसंहार से संबंधित है। कवि सम्मेलन की समाप्ति के बाद राजकपूर ने शैलेंद्र से मिलकर ''जलता है पंजाब'' कविता को उनकी आने वाली फिल्म ''आग'' (1948) के लिए बेचने का निवेदन किया। अपने सिद्धांत से कभी समझौता न करने वाले शैलेंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि उनकी लिखी हुई कविताएं बिक्री के लिए नहीं हैं, हांलाकि कुछ असाधारण आर्थिक परिस्थितियों के कारण शैलेंद्र ने राजकपूर की फिल्म बरसात की रात के लिए दो गीत लिखे। जिसमें एक गीत फिल्म का लोकप्रिय शीर्षक गीत बन गया ''बरसात में हम से मिले तुम सजन, तुम से मिले हम बरसात में'' जिसको शंकर जयकिशन ने संगीत दिया और दूसरा गीत ''पतली कमर है तिरछी नजर है'' भी लोकप्रिय बन गया था। '' इसके बाद तो राजकपूर और शैलेंद्र के बीच गीतों का संबंध गहरा होता गया और उन्होंने उनकी कई फिल्मों के लिए बहुत सारे गीत लिखे।

दो साल बाद शैलेंद्र ने फिल्म ''आवारा'' (1951) के लिए शीर्षक गीत लिखा ''आवारा हूं या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूं, आवारा हूं'' जो एक यादगार गीत बन गया। शैलेंद्र के गीत प्रवाह से निकले ये शब्द उनके दिमाग में तब आए जब कहानीकार के. ए अब्बास राजकपूर को अपनी फिल्म की कहानी सुना रहे थे। राजकपूर, शैलेंद्र और शंकर जयकिशन की जोड़ी ने बहुत सारे गीत हिंदी फिल्मों को दिए, जो न केवल देश में अपितु विदेश में भी अंत्यत लोकप्रिय हुए।

गीतकार, लेखक और फिल्म निर्माता गुलजार ने कई अवसरों पर शैलेंद्र की तारीफ करते हुए उन्हें हिंदी फिल्म जगत का सबसे बड़ा गीतकार बताया। शैलेंद्र द्वारा लिखित गाना '' मेरा जूता है जापानी'' अंग्रेजी फिल्म ''डेडपूल'' में भी दिखाया गया।

शैलेंद्र को तीन बार फिल्मफेयर सर्वोत्तम गीतकार के अवार्ड से नवाजा गया, जिसमें 1958 में लिखा उनका गीत ''ये मेरा दीवानापन है'' (यहूदी), वर्ष 1959 का फिल्म अनाड़ी का यह गाना ''सब कुछ सीखा हमने'' और 1968 की फिल्म ब्रह्मचारी के लिए लिखा गाना ''मैं गाऊं तुम सो जाओ''

शैलेंद्र को ड्रम बजाने का भी बहुत शौक था। शैलेंद्र को ड्रम बजाते देखकर राजकपूर सम्मोहित हो गए और उन्होंने अपनी फिल्म के दृश्यों में शैलेंद्र को ढोलक बजाते हुए दिखाया।

शैलेंद्र ने महात्मा गांधी द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आरंभ किए गए ''भारत छोड़ो आंदोलन'' में भी हिस्सा लिया। वे अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ते समय किए गए देश विभाजन से अत्यंत विचलित हुए और उन्होंने इसको अपनी कविता के भावों में इसे व्यक्त किया। उन्होंने तीन दशकों के अपने केरियर के दौरान लगभग 800 गीत लिखे, जिनमें छोटी बहन, आवारा, बरसात, जंगली, संगम, हरियाली और रास्ता, आई मिलन की वेला, अनाड़ी, जिस देश में गंगा बहती है, दिल अपना और प्रीत पराई, राजकुमार, दूर गगन की छांव जैसी फिल्मों के लिए लिखे गीत आज भी प्रासंगिक व लोकप्रिय हैं। वर्ष 1965 में बनी हिंदी फिल्म ''गाइड'' के गीतों को भी शैलेंद्र ने कलमबद्ध किया।

एक बार गीत लिखते हुए उनके पेन की स्याही खत्म हो गयी तब उन्होंने सिगरेट की बट से लिखते हुए "ऐ मेरे दिल कंही और चल" लिख डाला।

शैलेन्द्र ने अपनी लेखनी से गरीबी, भूख और शोषण के खिलाफ खूब लिखा. "चूल्हे में ठंडा पड़ा और पेट में आग है"। तीसरी कसम फिल्म के लिए लिखा गीत "सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है" उनके अन्दर घुमड़ रही भावनाओं को बतलाता है. उन्होंने गीत लिखते समय हिंदी भाषा के सरल और दैनिक प्रयोग में आने वाले शब्दों का प्रयोग किया लेकिन शब्दों को जोड़ने के बाद उनके भावों का प्रभाव सुनने वाले के मन और दिमाग में छा जाता था. उनके द्वारा कुछ शब्दों जैसे जिंदगानी आदि का कभी कभार प्रयोग शैलेन्द्र द्वारा ही शुरू किया गया. उन्होंने कई रोमांटिक गीतों में प्यार भरे शब्दों का प्रयोग कर सुनने वालों का दिल जीत लिया जिनमें "घड़ी-घड़ी मोरा दिल धड़के क्यों धड़के, आज मिलन की बेला में", "खोया-खोया चांद, खुला आसमान", श्री 420 और सूरज फिल्मों के गीतों ने उन्हें अमर बना दिया। वे न केवल गीतकार थे, बल्कि कवि-गीतकार थे, जिसके कारण ही उनके गीतों को बहुत ज्यादा शोहरत मिली। ''गाइड'' फिल्म इतनी सफल नहीं हो पाती, यदि इसके गीत शैलेंद्र ने न लिखे होते। गाइड फिल्म का गाना ''दिन ढल जाए हाय रात न जाय'' एक हिट एवं लोकप्रिय गाना है। उन्होंने सलिल चौधरी की फिल्म मधुमती(1956) के लिए 10 गीत लिखे जो सभी हिट हुए।

उन्होंने बच्चों के लिए भी कभी न भूलने वाले गीत लिखे "नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए" फिल्म मासूम (1960) इसी प्रकार "नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुठ्ठी में क्या है" (बूट पॉलिश 1954) का गाना आज भी सभी को याद होगा। शैलेंद्र का गाना "भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना" (फिल्म छोटी बहिन 1959) यह गीत आज भी राखी बंधन के त्योहार पर उत्साह एवं उमंग के साथ सुना और गुनगुनाया जाता है।

फिल्म मेरा नाम जोकर के गीतों को शैलेंद्र ने लिखा जो हिट गीतों की श्रेणी में जाने जाते हैं जिनमें "जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहां" आज कौन नहीं सुनता। यह फिल्म उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुई।

उनकी मृत्यु 43 वर्ष की अल्प आयु में हो गई, जो अपने पीछे विरासत में यादगार गानों की एक श्रृंखला छोड़कर चले गए जिसमें मनोरंजन के साथ-साथ दिल को छूने वाले शब्दों का समावेश है, जो समय के सभी खंडकाल में आज भी प्रांसगिक हैं।

उनकी अपनी ही लिखी एक गीत की पंक्ति

''सबकुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी
सच है दुनियावालों की हम हैं अनाड़ी''

''कल खेल में हम हो न हों गर्दिश में तारे रहेंगे सदा

भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा''

फिल्म ''मेरा नाम जोकर'' के ये गीत शैलेंद्र जी की आत्मा को सदैव के लिए अमर बनाते हैं।

आस्था

मन के दरवाजे पर आस्था के
बन्दनवार सजाने हैं
चित्तभूमि पर तेरी भक्ति के
सुंदर पुष्प सजाने हैं

साधना के दीप जलाकर
नई दीवाली मनानी है
प्रेम रंग में डूब–डूब कर
होली निराली बनानी है

हे अनंत के स्वामी अनंत तुम
मन बुद्धि की पकड़ से दूर
तुम्हें कब कैसे जानेंगे हम
कैसे करें चेतना कर विस्तार

उपदेश बहुत से सुने, पढ़े, समझे
पर छूटा नहीं चित्त से संसार
हे सर्वज्ञ, हे विभु, हे सर्वशक्ति के भंडार
मिल जाओ तुम यहीं कहीं तो
कृपा होगी तेरी अपार

दूर बहुत है हमसे,
तेरा उच्चतम मिलनद्वार
पर तुम अपने दिव्य प्रेम की ज्योत जलाकर
तोड़ सकते हो तमस द्वार

हम नहीं आ सकते तुझ तक तो क्या
तुम ही आकर पास हमारे
पावन कर दो तन–मन विचार

दर्द की सार्थकता

कभी–कभी थक जाती हूं मैं
दर्द सहते–सहते
लगता है ये सारे दुःख
मेरी ही झोली में आने थे !
पर जब दर्द के खिलाफ लड़ाई
महाभारत बन जाती है
और सृष्टि होती है उससे
गीता के सदृश
अनुपम ज्ञान की शंखध्वनि
तब समझ आती है
सार्थकता उस दर्द की भी।

अपर्णा त्रिपाठी
महाप्रबंधक / वित्त / सी.ए.जी
कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली

राजभाषा अधिनियम, 1963 (10 मई, 1963) यथा संशोधित 1967

प्रयोजनः 26 जनवरी, 1965 के बाद भी संघ के राजकीय प्रयोजनों/संसदीय कार्य/केंद्र/राज्य अधिनियम/उच्च न्यायालयों में कुछ प्रयोजनों में हिंदी के अतिरिक्त सह भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने के लिए यह अधिनियम संसद में पारित हुआ।

धारा-1 संक्षिप्त नाम- राजभाषा अधिनियम, 1963

धारा- 2 परिभाषाएं- धारा 3, 26 जनवरी, 1965 से लागू होगी शेष धाराएं राज-पत्र में उनकी प्रकाशन तिथि से लागू, हिंदी का तात्पर्य देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी।

धारा-3 राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का बना रहना

3.1 26 जनवरी,1965 के बाद भी संघ के सरकारी प्रयोजनों-संसद के कार्य निष्पादन हेतु हिंदी के अलावा सह भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा।

संघ और हिंदी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले राज्यों के बीच पत्राचार अंग्रेजी में होगा।

हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने वाले राज्य और हिंदी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले राज्य के बीच यदि पत्राचार हिंदी में किया जाए तो हिंदी पत्रों के साथ उनका अंग्रेजी अनुवाद भेजा जाएगा।

हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने वाला राज्य संघ या हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने वाले राज्यों के साथ उनकी सहमति से पत्राचार में हिंदी का प्रयोग कर सकेगा। ऐसी स्थिति में उस राज्य के साथ पत्राचार में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग वाध्यकर नहीं होगा।

3.2 कार्यालयीन पत्राचार

केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालय/कंपनियों/निगमों और कंपनी के कार्यालयों के बीच पत्राचार करते समय अंग्रेजी पत्र के साथ हिंदी और हिंदी पत्र के साथ अंग्रेजी अनुवाद तब तक भेजा जाएगा जब तक वहां के कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते।

धारा 3(3) केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/निगमों/कंपनियों द्वारा जारी किए जाने वाले संकल्प/सामान्य आदेश/नियम/अधिसूचनाएं/प्रशासनिक व अन्य रिपोर्ट/प्रेस/विज्ञप्तियां/संविदा/करार/अनुज्ञप्ति/अनुज्ञा पत्र/सूचनाएं/निविदा प्रारूप संसद के सदनों में रखी जाने वाली प्रशासनिक या अन्य रपटें आदि हिंदी एवं अंग्रेजी में साथ–साथ अर्थात दोनों भाषाओं में जारी किए जाएंगे।

धारा-3.4 केंद्रीय सरकार संघ अपने मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के शासकीय/ राजकीय प्रयोजनों के लिए उपयोग में लायी जाने वाली भाषा या भाषाओं का उपबंध करेगी। ऐसे नियम बनाते समय राजकीय कार्य को दक्षता और शीघ्रता से निपटाने तथा जनसाधारण के हितों का सम्यक ध्यान रखा जाएगा और संघ के कार्यालयों में कार्यरत हिंदी और अंग्रेजी के प्रवीण व्यक्ति प्रभावी रूप से अपना कार्य कर सकें और जो इन दोनों भाषाओं में प्रवीण नहीं है उनका भी कोई अहित न हो।

धारा 3.5 धारा 3 के उपनियम 1/2/3 तथा 4 में निर्दिष्ट व्यवस्थाएं तब तक बनी रहेंगी जब तक हिंदी को राजभाषा न मानने वाले राज्य अंग्रेजी के प्रयोग के स्थगन हेतु अपनी विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित नहीं कर लेते और ऐसे राज्यों में अंग्रेजी के प्रयोग को समाप्त किए जाने का निर्णय संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं कर लिया जाता।

धारा 4 राजभाषा के संबंध में समितिः

4.1 धारा 3 प्रवृत्त होने की तिथि 26 जनवरी 1965 के बाद 10 वर्ष की समाप्ति पर संसद राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से संकल्प पारित कर संसदीय राजभाषा समिति का गठन करेगी।

4.2 समिति में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10, कुल 30 सदस्य होंगे। इनका निर्वाचन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा।

4.3 समिति, संघ के राजकीय प्रयोजनों में हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करेगी और अपनी सिफारिशों सहित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगी. राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में उसे रखेंगे। उसकी प्रतियां सभी राज्य सरकारों को भेजेंगे।

4.4 राष्ट्रपति समिति की रपट और राज्य सरकारों द्वारा इस पर व्यक्त किए गए मत पर विचार कर समस्त रिपोर्ट या उसके किसी भाग के अनुसार आर्देश निकालेंगे। ऐसे आर्देश धारा 3 के उपबंधों से सुसंगत होंगे।

धारा-5 केंद्रीय अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी अनुवादः

5.1 नियत दिन या उसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति से राजपत्र में प्रकाशित केंद्रीय अधिनियम, राष्ट्रपति के अध्यादेश, संविधान या केंद्रीय अधिनियमों के अधीन निकाले गए आदेश/नियम/विनिमय/उपविधि का हिंदी अनुवाद उसका हिंदी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

5.2 संसद के किसी भी सदन में रखे जाने वाले सभी विधेयकों/संशोधनों के अंग्रेजी भाषा के प्राधिकृत पाठ के साथ उनका हिंदी अनुवाद भी होगा। उसे इस अधिनियम की विधि द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा।

धारा-6 कतिपय दशाओं में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद

किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा पारित अधिनियम या राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश हिंदी से भिन्न किसी अन्य भाषा में पारित किए हों वहां उसके अंग्रेजी अनुवाद के साथ हिंदी अनुवाद को भी शासकीय राज पत्र में राज्यपाल के प्राधिकार से छापा जाएगा और ऐसी दशा में उस अधिनियम या अध्यादेश का हिंदी अनुवाद हिंदी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

धारा-7 उच्च न्यायालयों के निर्णयों आदि में हिंदी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग

किसी राज्य का राज्यपाल/राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से उस राज्य के उच्च न्यायालय को अपने निर्णय/डिक्री/या आदेश अंग्रेजी के अलावा हिंदी या उस राज्य की राजभाषा में पारित करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगा। ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय को उनका अंग्रेजी अनुवाद भी प्रस्तुत करना होगा।

धारा-8 नियम बनाने की शक्ति

(1) केंद्रीय सरकार अधिसूचना के जरिए इस अधिनियम के अनुपालन हेतु नियम बनाएगी।

(2) इस प्रकार बनाया गया हर नियम संसद सत्र के दौरान सदनों में रखा जाएगा। सदन यदि इनमें कोई परिवर्तन करना चाहे तो ऐसे नियम उसके परिवर्तित रूप में जारी रहेगा या असहमति की दशा में रदद् हो जाएगा।

धारा-9 कतिपय उपबंधों का जम्मू-कश्मीर पर लागू न होना

धारा 6 और 7 के उपबंध जम्मू–कश्मीर पर लागू नहीं होंगे।

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत आने वाले कागजातों की सूची जिनको हिंदी-अंग्रेजी द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है- निम्न प्रकार हैं।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी किए जाने वाले दस्तावेज

सामान्य आदेश	General Orders
सूचनाएं	Notices
अधिसूचनाएं	Notifications
प्रेस विज्ञप्तियां/प्रेस नोट	Press Communiques / Press Note
संविदाएं	Contracts
करार	Agreements
अनुज्ञप्ति	Licences
अनुज्ञापत्र	Permits
टेंडर फार्म और सूचनाएं	Tender Form & Notices
संकल्प	Resolutions
नियम	Rules
संसद में प्रस्तुत सरकारी प्रलेख/कागजात	Official Documents / Papers to be laid before the Parliament
संसद में प्रस्तुत प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट	Administrative and other Reports to be laid before the Parliament
प्रशासनिक या अन्य रिपोर्ट	: Administrative or other Reports

उक्त कागजात/दस्तावेज मूल रूप में हिंदी एवं अग्रेंजी भाषा में तैयार करके साथ–साथ जारी किए जाने अनिवार्य हैं

'राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूँगा है।'

महात्मा गाँधी

समाज में बेटियों का महत्व

बेटा–बेटी दोनों का ही महत्व, कर्तव्य, आवश्यकता व अधिकार समान है। दोनों ही समाज के आवश्यक अंग हैं। फिर भी आज कन्या भ्रूण हत्या विकराल रूप धारण किए हुए है। भारत पुरुष प्रधान समाज रहा है, पुत्र वंश चलाता है, स्वर्ग दिखाता है, बुढ़ापे का सहारा आदि मान्यताओं से शिक्षित वर्ग भी अछूता नहीं है।

कौन नहीं जानता कि सृष्टि के चक्र को अविरल चलाने को माँ, राखी बांधने को बहन, कहानी सुनाने को दादी, जिद पूरी करने को मौसी, खीर खिलाने को भाभी, जीवन साथी हेतु पत्नी इन जरूरतों को पूरा करने हेतु बेटी को जिन्दा रहना जरूरी है। बेटी माँ बन गौरव पाती है, नौ माह तक गर्भस्थ शिशु को अपने रक्त की एक-एक बूँद से सींचकर जन्म देती है व त्यागी व निस्वार्थी होने की वजह से शिशु को पति का नाम दे, आत्म संतुष्टि का अनुभव करती है। कन्या भ्रूण हत्या से समाज की गति रूक जायेगी। अतः इसे रोकना आवश्यक ही नहीं हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। कहीं ऐसा न हो कि आपका लाड़ला बेटा दूल्हा बनने के सपने देखता रह जाए। इस प्रक्रिया के तहत गर्भवती महिला अत्यधिक रक्तस्राव से, गर्भाशय क्षतिग्रस्त होने से संक्रमण हो जाने से या तो दुबारा माँ नहीं बन पाती या संसार से ही विदा हो जाती है। अतः बेटी को बचायें, माँ को जीवित व समाज की व्यवस्था बरकरार रहने दें। जन्म के बाद बेटी का पालन-पोषण-शिक्षा, माता-पिता की जिम्मेदारी है। विवाह के बाद नये रिश्तों को तन-मन से स्वीकारती है बेटी। बेटी को शिक्षित करना, पूरे परिवार को शिक्षित करना है, बेटी बड़ी होकर पत्नी-माँ बन परिवार को संजोती है। वो जन्मदात्री ही नहीं चरित्र निर्मात्री भी है। एक शिक्षित बेटी पूरे परिवार को नई दिशा, रोशनी व नया परिवेश देती है। संतान का उचित मार्गदर्शन, अमृत व विष का अन्तर, सदाचार का पाठ पढ़ा जीवन सुयश सफल व उत्तम बना सकती है।

आज सरकार द्वारा बेटियों की पढ़ाई के लिए लाइट नहीं होने पर सोलर लैम्प, स्कूल पढ़ाई करने के लिए साइकिल, किताबें आदि जरूरत के हिसाब से मदद दी जा रही है। निर्धन परिवार की कन्या को गोद लें या शिक्षा व लालन-पालन हेतु आर्थिक मदद करते हैं। महिलाओं को शिक्षित करने का प्रबन्ध करते हैं ताकि पुत्र मोह के बंधन से मुक्त हो सकें। 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' पर गोष्ठी, सम्मेलन, जन जागृति, सभाएँ, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर शिक्षित करने का प्रयास करते हैं।

बेटी को क्यों पढ़ाओः जन्म के बाद बेटी का पालन-पोषण, शिक्षा, माता–पिता की जिम्मेदारी है। हिन्दुओं के 16 संस्कारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विवाह है। विवाह के बाद नये रिश्तों को तन-मन से स्वीकारती है बेटी। घर की देखभाल, बच्चों का पालन पोषण, पति का ध्यान, सास-ससुर की सेवा प्रातः से रात्रि तक घड़ी की सुई की तरह चलकर पूरा करती है। जीवन तो पशु भी जीते है। पर शिक्षित बेटी आधुनिक जीवन शैली, नये अविष्कार, देश-विदेश की तकनीक का उपयोग कर परिवार में खुशहाली ला सकती है। एक शिक्षित बेटी पूरे परिवार को नई दिशा, रोशनी व नया परिवेश देती है। संतान का उचित मार्गदर्शन, अमृत-विष का अन्तर, सदाचार का पाठ जीवन सुयश सफल एवं उत्तम बना सकते है।

जैसा कि सर्वविदित है कि शिक्षा के बल पर हमारे देश की बेटियाँ राष्ट्रपति, गवर्नर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सैनिक, विदेश मंत्री, पायलट, गीतकार, गायिका, स्पेस वूमन, ट्रेन चालक, चित्रकार, कवयित्री, लेखिका, डॉक्टर, प्रिंसीपल यहाँ तक कि फाइटर प्लेन चालिका बन घर-परिवार-समाज-शहर व देश का गौरव बढ़ा रही है। शिक्षित बेटियाँ बेटों के बराबर ही नहीं बल्कि ज्यादा बेहतर घर

व्यवसाय संभालकर अपने आपको सिद्ध कर रही है। साथ ही परिवार की आर्थिक मददगार भी साबित हो रही है। बेटी को शिक्षित करना अति आवश्यक ही नहीं हर परिवार की नैतिक जिम्मेदारी है। हत्या करना घोर अपराध है, सजा का भी प्रावधान है पर आज तक किसी को भी सजा नहीं मिल सकी है।

राष्ट्र की आधी जनशक्ति नारी है जो अपनी ऊर्जा, संकल्प, वात्सल्य से आंगन से लेकर अंतरिक्ष तक भूमिका सफलता से निभा रही है। एक बालक को शिक्षित करना, केवल एक को करना जबकि एक बालिका को शिक्षित कराना पूरे परिवार को शिक्षित करना है क्योंकि बालिका बड़ी होकर पत्नी-माँ बन परिवार को संजोती है वो जन्मदात्री ही नहीं चरित्र निर्मात्री भी है।

धार्मिक महत्व में देवियों का पूजन व रानी लक्ष्मीबाई, माता जीजाबाई आदि को भुलाया नहीं जा सकता। विश्व की प्रख्यात महिलाओं में सावित्री जिन्दल, इन्दू जैन, अनुभाग, किरण मजूमदार, शोभना आदि भारतीय रही हैं। इन्द्रा, शिखा शर्मा, चन्दा कोचर आदि ने देश का नाम रोशन किया। संस्कारित, शिक्षित महिला ही स्वस्थ-समर्थ परिवार व भारत की संरचना कर सकती है।

मनु स्मृति में माता का दर्जा पिता से हजार गुना अधिक माना है तथा शंकराचार्य महाराज भगवान श्रीकृष्ण को माँ पुकारते थे और उपनिषदों में मातृदेवो भव पितृदेवो भव कहा है एवं वन्देमातरम में भी माँ की ही वंदना की गई है।

राम, कृष्ण, शिवाजी, हनुमान आदि के जीवन को सुसंस्कारों से माँ ने सजाया। महर्षि दयानन्द जी ने माँ को ममतामयी, जीवनदायनी, परोपकारिणी बताया है। माँ की गोद से बड़ी कोई पाठशाला नहीं, माँ से बड़ी कोई शिक्षिका नहीं, माँ की ममता, वात्सल्य, प्रेम निःस्वार्थ होता है। ईश बंदना में भी माँ को पहले नमन करते हैं। उदाहरण स्वरूप त्वमेव माता च पिता त्वमेव। मंदिर, सत्संग, कथा में ज्यादा महिलाएँ होती हैं अर्थात् वे धर्म संस्कृति की रक्षा करती है।

शालिनी
एम.बी.बी.एस (अंतिम वर्ष 2015 बैच)
लेडी हॉर्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड
एसोसिएटेड हॉस्पिटल
पुत्री श्री सुन्दर सिंह,
अपर महाप्रबंधक/मानव संसाधन,
कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली

"हिन्दी भाषा और हिन्दी साहित्य को सर्वांगसुंदर बनाना हमारा कर्त्तव्य है"
डॉ. राजेंद्रप्रसाद

बस यही चाहिये

गीत को संगीत मिले
आंसुओं को प्रीत मिले।

अधरों को नीर मिले
बस यही चाहिये।।

बिछड़ों को साथ मिले
अपनों से हाथ मिले।

जीवन मे खुशी रहे
बस यही चाहिये
काव्य की फुहार छूटे
मायूसी की डोर टूटे ।

नाचे-झूमें गए सब
बस यही चाहिये
ये कविगण आए है
बहुत दूर-दूर से।

जोरदार ताली मिले
बस यही चाहिये

सम्पत लोहार
उप मुख्य परियोजना प्रबंधक/इंजी.
मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय, डीएफसीसीआईएल
अहमदाबाद

देश की है आन हिन्दी

देश की है आन हिन्दी
देश की है शान हिन्दी।

देश की दुलारी भाषा
यही पहचान है।।

एकता की बन कड़ी
आजादी की जंग लड़ी।

सपने साकार किये
यही अहसान है।।

बनना था जिसे रानी
बन गई नोकरानी ।

तुलसी-कबीर रोते
देख अपमान है ।।

आओ हम प्रण करें
मजबूत मन करें।

हिन्दी मे हो काम सारा
यही अरमान है।।

कॉर्पोरेट कार्यालय में आयोजित हिन्दी कार्यशालाएं - एक परिदृश्य

हिंदी पखवाड़ा आयोजन-2019
विभिन्न कार्यक्रमों की झलकियां

राजभाषा नियम, 1976 (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) (यथा संशोधित, 1987, 2007 एवं 2011)

सा.का.नि. 1052- राजभाषा अधिनियम 1963 (1963 का 19) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः–

1) संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभः

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 है।

(2) इनका विस्तार, तमिलनाडु राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।

(3) ये राज पत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2) परिभाषाएं– इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न होः

(क) ''अधिनियम'' से राजभाषा अधिनियम 1963 (1963) का 19) अभिप्रेत है।

(ख) ''केंद्रीय सरकार के कार्यालय'' के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात

(1) केंद्रीय सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय।

(2) केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अधिकरण का कोई कार्यालय और

(3) केंद्रीय सरकार के स्वामित्त में या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कंपनी का कोई कार्यालय।

(ग) ''कर्मचारी'' से केंद्रीय सरकार के कार्यकाल में नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।

(घ) ''अधिसूचित कार्यालय'' से नियम 10 के उपनियम (4) के अधीन अधिसूचित कार्यालय अभिप्रेत है।

(च) क्षेत्र 'क' से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड राज्य तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र और अंडमान निकोबर द्वीप समूह अभिप्रेत है।

(छ) क्षेत्र 'ख' से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है।

(ज) क्षेत्र 'ग' से खण्ड (च) और (छ) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों से भिन्न राज्य संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है।

(झ) हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान से नियम 10 में वर्णित कार्यसाधक ज्ञान अभिप्रेत है।

3) राज्यों आदि और केंद्र सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्राचार :

(1) केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को ऐसे राज्य या संघ राज्य/ क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति के पत्रादि असाधारण दशाओं को छोड़कर हिंदी में होंगे और यदि उनमें से किसी को पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

(2) केंद्रीय सरकार के कार्यालय से :

(क) क्षेत्र 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति के पत्रादि साधारण तौर पर हिंदी में होंगे और यदि इनमें से किसी को पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

परंतु, यदि कोई ऐसा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यह चाहता है कि किसी विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग के पत्रादि उसके किसी कार्यालय के लिए आशयित पत्रादि संबंध राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक अंग्रेजी या हिंदी में भेजे जाएं और उसके साथ दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी भेजा जाये तो ऐसे पत्रादि उसी रीति से भेजे जायेंगे।

(ख) क्षेत्र 'ख' के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं।

(3) केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'ग' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार के कार्यालय न हों) या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में होंगे।

(4) उपनियम (1) और (2) में किसी बात के हुए भी क्षेत्र 'ग' में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' या 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्य/क्षेत्र को या ऐसे

राज्य में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार के कार्यालय न हों) या व्यक्ति को पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं।

4) केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि :

केंद्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं।

(क) केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और क्षेत्र 'क' में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे, जो केंद्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे संबंधित आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करें।

(ख) क्षेत्र 'क' में स्थित केंद्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों के बीच जो खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट कार्यालय से भिन्न है पत्रादि हिंदी में होंगे।

(ग) क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और क्षेत्र 'ख' या क्षेत्र 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं।

(घ) क्षेत्र 'ख' या क्षेत्र 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं।

परंतु जहां ऐसे पत्रादि:

1. क्षेत्र 'क' या क्षेत्र 'ख' के किसी कार्यालय को संबोधित है, वहां यदि आवश्यक हो तो उनका दूसरी भाषा में अनुवाद पत्रादि प्राप्त करने के स्थान पर किया जाएगा।
2. क्षेत्र 'ग' में किसी कार्यालय को संबोधित हैं, वहां उनका दूसरी भाषा में अनुवाद उनके साथ भेजा जाएगा।

   परंतु, यह और कि यदि कोई पत्रादि किसी अधिसूचित कार्यालय को संबोधित हैं तो दूसरी भाषा में ऐसा अनुवाद उपलब्ध कराने की अपेक्षा नहीं की जाए।

5) हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर:

नियम 3 और नियम 4 में किसी बात के होते हुए भी हिंदी में पत्रादि के उत्तर केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से अनिवार्यतः हिंदी में दिए जाएंगे।

6) हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग:

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि ऐसे दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही तैयार किए जाते हैं, निष्पादित किए जाते हैं और जारी किए जाते हैं।

7) आवेदन अभ्यावेदन आदि:

1. कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है।
2. जब उपनियम (1) में निर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी में किया गया हो या उस पर हिंदी में हस्ताक्षर किए गए हों तब उसका उत्तर हिंदी में दिया जाएगा।
3. यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों (जिनके अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही भी हैं) से संबंधित कोई आदेश या सूचना, जिसका कर्मचारी पर तामील किया जाना अपेक्षित है, यथास्थिति, हिंदी या अंग्रेजी में होनी चाहिए तो वह उसे असम्यक विलंब के बिना उसी भाषा में दिया जाएगा।

8) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणियों का लिखा जाना

1. कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणी या मसौदा हिंदी और अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करें।
2. केन्द्रीय सरकार को कोई भी कर्मचारी, जो हिंदी का कार्य साधक ज्ञान रखता है, हिंदी के किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है, जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का हो, अन्यथा नहीं।
3. यदि यह प्रश्न उठता है कोई विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं तो विभाग या कार्यालय का प्रधान उसका विनिश्चय करेगा।
4. उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है, जहां ऐसे कर्मचारियों द्वारा, जिन्हें हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, टिप्पण प्रारूप और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, केवल हिंदी का प्रयोग किया जायेगा।

9) हिंदी में प्रवीणताः—यदि किसी कर्मचारी ने

(क) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है या

(ख) स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था या

(ग) यदि वह नियमों से उपाबद्व प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है तो उसके बारे में यह समझा जायेगा कि उसने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

10) हिंदी का कार्यसाधक ज्ञानः

(क) यदि किसी कर्मचारी ने :

(1) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है या

(2) केंद्रीय सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा, जब उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत कोई निम्नतर विनिर्दिष्ट की है, तब वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या

(3) केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली या

(ख) यदि वह इन नियमों से उपाबद्व प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उसके बारे में यह समझा जायेगा कि उसने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

(2) यदि केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से अस्सी प्रतिशत ने हिंदी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यता यह समझा जायेगा कि उन्होंने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

(3) केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी यह अवधारित कर सकता है कि केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय के कर्मचारियों हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं।

(4) केंद्रीय सरकार के जिन कार्यालयों के 80% या अधिक कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन कार्यालयों के नाम, राजपत्र में अधिसूचित किये जायेंगे।

परंतु, यदि केंद्रीय सरकार की राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख से उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत कम हो गया है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है, कि उक्त कार्यालय उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रह जायेगा।

11) मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि

(1) केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैन्युअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषी रूप में यथास्थिति मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।

(2) केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किये जाने वाले रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक हिंदी और अंग्रेजी में होंगे।

(3) केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना—पट्ट, पत्र शीर्ष और लिफाफों में उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिंदी और अंग्रेजी में लिखी जायेगी, मुद्रित या उत्कीर्ण रहेगी।

परंतु, यदि केंद्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय को उस नियम के सभी या किसी उपबंधों से छूट दे सकती है।

12) अनुपालन का उत्तरदायित्वः

(1) केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह :

(1) यह सुनिश्चित करें कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है और

(2) इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करें।

(2) केंद्रीय सरकार के अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के सम्यक अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है।

प्रारूप (नियम 9 और 10 देखिए)

मैं इसके द्वारा यह घोषणा करता हूं कि निम्नलिखित के आधार पर मुझे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है / मैंने हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

बेटियां

नाजुक सा दिल रखती हैं, मासूम सी होती है बेटियां
बात-बात पर रोती है, नादान सी होती हैं बेटियां

बेटी के प्यार को कभी आजमाना नहीं
वह फूल है उसे कभी मसलना नहीं

रहमत से भरपूर खुदा की नेमत हैं बेटियां
हर घर महक उठता है जहां मुस्कुराती हैं बेटियां

पिता का तो गुमान होती हैं बेटियां
जिंदा होने की पहचान होती हैं बेटियां

उसकी आंखें कभी नम ना होने देना
उसकी जिंदगी से कभी खुशियां कम न होने देना

ऊंगली पकड़ कर कल जिसको चलाया था तुमने
फिर उसको ही डोली में बिठाया था तुमने

अजीब सी तकलीफ होती है, जब दूर जाती हैं बेटियां
घर लगता है सूना-सूना पल-पल याद आती हैं बेटियां

खुशी की झलक और हर मां की लाड़ली होती हैं बेटियां
ऊंचाइयों को छू जाती हैं हौसला बढ़ा जाती हैं बेटियां

बहुत छोटा सा पल होता है बेटियों के साथ
बहुत कम वक्त के लिए वह होती हैं हमारे पास

असीम दुलार पाने की हकदार है बेटियां
समझो भगवान का आशीर्वाद होती हैं बेटियां

रूना जैन
पत्नी श्री संजीव कुमार जैन
सहायक प्रबंधक/मा.सं.
कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली

कविता

बहुत दिन बाद पकड़ में आई...
थोड़ी सी खुशी... तो पूछा ?
कहां रहती हो आजकल... ?
ज्यादा मिलती नहीं.. ?
''यहीं तो हूं'' जवाब मिला।
बहुत भाव खाती हो खुशी ?
कुछ सीखो अपनी बहन से...
हर दूसरे दिन आती है
हमसे मिलने.. ''परेशानी''।
आती तो मैं भी हूँ...
पर आप ध्यान नहीं देते।
''अच्छा''..?
कहाँ थीं तुम जब पड़ोसी ने नई गाड़ी ली ?
और तब कहां थीं जब रिश्तेदार ने बड़ा घर बनाया ?
शिकायत होंठों पे थी कि....
उसने टोक दिया बीच में.
मैं रहती हूँ....
कभी आपके बच्चे की किलकारियों में,
कभी रास्ते में मिल जाती हूँ..
एक दोस्त के रूप में,
कभी... एक अच्छी फिल्म देखने में,
कभी... गुम कर मिली हुई किसी चीज में,
कभी... घरवालों की परवाह में,
कभी... मानसून की पहली बारिश में,
कभी... गाना सुनने में,
दरअसल...
थोड़ा थोड़ा बांट देती हूँ,
खुद को छोटे-छोटे पलो में...
उनके अहसासों में।
लगता है
चश्मे का नंबर बढ़ गया है आपका...!
सिर्फ बड़ी चीजों में ही ढूंढते हो मुझे....!!!
खैर...
अब तो पता मालूम हो गया ना मेरा....?
ढूंढ लेना मुझे आसानी से अब
छोटी छोटी बातों में...''

राकेश शर्मा
उप परियोजना प्रबंधक
(परिचालन एवं व्यवसाय विकास)
डीएफसीसीआईएल, बडोदरा

भारत के वीर

अनल है, अनिल है,
गगन, भू, सलिल है,
पंचतत्व लीन है,
रक्त का शरीर है।
श्वास शंखनाद है,
ऑख में अंगार है,
लय में प्रलय है,
चाल में भूचाल है।
काल का कपाल है,
भुजा बहुत विशाल है,
वीर की हुंकार है,
चंहु और हाहाकार है।
रणभूमि लाल है,
वीर का प्रहार है,
शीश का प्रसाद है,
वीर महाकाल है,
वीर महाकाल है,

दिनेश कुमार गोयल
उप महाप्रबंधक/प्रशासन
कॉर्पोरेट कार्यालय,
नई दिल्ली

डीएफसीसीआईएल के निर्माण कार्यों को त्वरित रूप से पूर्ण करने के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग

नवीन आधुनिक तरीकों और प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में विश्व तीव्र गति से विकास कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से वृद्धि, प्रौद्योगिकी से संबंधित नवीन आधुनिक तौर-तरीकों और अनुप्रयोगों की उच्च दर, अभी तक के सबसे तेज और सस्ते संचार साधनों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को समाप्त कर दिया है, जो निर्माण उद्योग में भी गुणवत्ता एवं संरक्षा मानकों से समझौता किए बिना परियोजनाओं के तीव्र गति से कार्यान्वयन में उत्प्रेरक सिद्ध हो रहे हैं।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने में पारंपरिक निर्माण पद्धति प्रभावी साबित नहीं हुई हैं। तीव्र गति से निर्माण कार्य करने में मशीनीकरण और समानान्तर कार्य प्रणालियां (Parallel Working) महत्वपूर्ण मंत्र रहे हैं। पर्याप्त योजना और बेहतर समझ के बिना तेजी से निर्माण कार्यों को करने में गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है और अधिकांशतः मामलों में ऐसे कार्यों को पुनः भी करना पड़ सकता है। इसलिए प्रौद्योगिकी, संस्था, सूचनाएं, शिक्षा, नवीन आधुनिक तरीके और उत्पादक कौशल क्षमता आदि को विकास के भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका निभाने के लिए माना जाता है। एक परियोजना के लिए निर्माण कार्य पद्धति को पहले से तय करने की आवश्यकता होती है, जिसको ध्यान में रखते हुए ही संरचना की डिजाइन तैयार की जानी चाहिए। कार्य निष्पादन के दौरान, की जाने वाली गतिविधियों को तय करने में, योजनाबद्ध मशीनीकरण और नवीन आधुनिक तरीके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

पूर्व-इंजीनियर्ड घटकों का उपयोग, बड़ी मात्रा में कंक्रीटिंग, स्व-चालित ट्रैक बिछाना, ओएचई मास्ट इंस्टॉलेशन, ओएचई की स्वचालित वायरिंग, गुणवत्ता जांच के आधुनिक तरीके, रिएनफोर्समेंट फेब्रिकेशन के आधुनिक तरीकों, परियोजनाओं में उपयोग की जाने वाली स्वयं की उत्पादन सुविधाएं, जंप फॉर्म शटरिंग का व्यापक उपयोग, मॉड्युलर डिजाइन, थ्रेडेड कप्लर्स का उपयोग और असेंबली लाइन पद्धति के माध्यम से पूर्व-इंजीनियर्ड घटकों का उत्पादन आदि परियोजना कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने में बहुत प्रभावी सिद्ध हुए है।

इस दिशा में, डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) ने दो डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर अर्थात पश्चिमी और पूर्वी हैवी हॉल रेल फ्रेट कोरीडोरों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक और विभिन्न नवीन आधुनिक तकनीकों को अपनाने का एक बड़ा कदम उठाया है। परियोजना कार्यों में तेजी लाने की संकल्पना, डीएफसीसीआईएल ने निविदा के प्रारंभिक चरणों में ही कर दी थी जिसके कारण ठेकेदारों को परियोजना के निष्पादन के दौरान प्रत्येक चरण में विभिन्न उन्नत प्रौद्योगिकी और नवीनतम तौर-तरीकों को अपनाने में कोई कठिनाई नहीं होती है।

फॉर्मेशन का तैयार करना किसी भी बड़ी अवसरंचना परियोजनाओं की नींव है, जिसमें सामग्री को भारी मात्रा में रखने के साथ-साथ और परियोजना निर्माण की गति को धीमे किए बिना इसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाता है जिसके लिए मृदा विरूपण (Soil Deformation) एवं सामार्थ्य (Strength) के आंकलन हेतु, जांच के आधुनिक द्रुत तरीकों, जैसे कि स्ट्रेन मोड्यूलस (EV & 2) नापने के लिए परीक्षण और न्यूक्लियर मॉइस्चर डेंसिटी गेज (NMDC) का प्रयोग, डीएफसीसीआईएल द्वारा व्यापक रूप से किया जा रहा है।

350 टन प्री-स्ट्रेस्ड/प्री- टेंशन्ड कांक्रीट बाक्स गर्डर (Pre - Stressed / Pre-Tensioned Concrete Box Girders) जैसी संरचनाओं को तेजी से बनाने के लिए एक लांग लाइन मैथड (Long Line Method), जो कि एक साथ 04 (चार) ऐसे कंक्रीट खंड (Segment) को ढालने (कास्ट) की क्षमता रखता है, का उपयोग किया जाता है जिसमें कि औसतन 18 ऐसे खंड, उच्च गुणवत्ता मानकों एवं उच्च गुणवत्ता वाली वाह्य पृष्ठ संपूर्णता (High Quality Surface Finish) के साथ निर्मित किए जा सकते है। इन बॉक्स गर्डर्स के फास्ट ट्रैक लॉन्चिंग के लिए बहुत ही उन्नत उपकरणों का उपयोग आरंभ किया गया है, जो एक माह में औसतन 25 गर्डरों को लॉन्च कर सकते हैं। इन कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए, प्रारंभिक चरणों में ही कास्टिंग और लॉन्चिंग यार्ड की समुचित योजना सुनिश्चित की जाती है।

पीयर कैप (Pier Caps) के मॉड्यूलर निर्माण (Modular Construction) का व्यापक उपयोग किया जाता है जिसमें, रिएनफोर्समेंट केज को भूमि पर ही जोड़ा जाता है तत्पश्चात, संपूर्ण केज को उच्च क्षमता वाली क्रेन की सहायता से उठाकर पीयर टॉप पर रखा दिया जाता है तथा बड़ी मात्रा में कंक्रीटिंग (Large Pour Concrete) की जाती है। इस तरह के नवीन निर्माण के तरीके से कार्य अवधि में परंपरागत विधि की तुलना में तथा पूर्ण संरक्षा अभिकल्प तथा गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करते हुए लगभग 30 दिन तक की बचत की जा सकती है।

डीएफसीसीआईएल जैसी परियोजनाओं में, कंक्रीट स्लीपरों का घरेलू उत्पादन महत्वपूर्ण हो जाता है जिससे कि स्लीपरों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है। विभिन्न घटकों जैसे कंक्रीट आई-गर्डर के भिन्न-भिन्न आकार, सीमित ऊँचाई के सब-वे घटकों, रेन वाटर हार्वेस्टिंग घटकों, रिटेनिंग वॉल घटकों, कंक्रीट नाली घटक आदि की पूर्व-कास्टिंग विभिन्न गतिविधियों के कार्यों में तेजी लाने में क्रांतिकारी परिवर्तन सिद्ध हुए है।

जैसे ही फार्मेशन तैयार होता है, वैसे ही तेजी से रेलपथ बिछाने का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पूर्व में ये एक श्रम आधारित गतिविधि थी जो कि बेहद धीमी तथा निर्धारित मापदण्डों से निम्न स्तरीय होने जैसे दोषों से युक्त थी। डीएफसीसीआईएल में, रेलपथ निर्माण के विशेष उपकरणों का उपयोग किया गया है। जो कि उच्च आरंभिक रेलपथ बिछाने के मापदंडों को सुनिश्चित करते हुए 1.5 टी. के एम प्रतिदिन रेल बिछाने में सक्षम है। मेरा यह दृढ़ विचार है कि इस प्रकार का ऑटोमेशन नयी निर्माण परियोजनाओं के लिए आवश्यक है जो न केवल तेजी से निर्माण कार्य निष्पादन को सहज बना देता है बल्कि रख-रखाव प्रयासों को, उच्च प्रारंभिक रेलपथ मापदंडों द्वारा परिभाषित किए जाने के फलस्वरूप, किफायती बना देता है।

जब विशेष उपकरणों के साथ एक बार ट्रैक बिछा दिया जाता है, तो इसके पश्चात एल.डब्ल्यू.आर./सी.डब्ल्यू.आर. की स्थापना एक और बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है। डीएफसीसीआईएल ने लंबे पैनल वाले रेलों के डिस्ट्रेसिंग के लिए 160 टन के सुपर पुलर के साथ उन्नत ऑन-साइट फ्लैश बट वेल्डिंग मशीन को उपयोग में लिया है। उपरोक्त उपकरण डेटा लोगर के साथ है जो वेल्डिंग और डिस्ट्रेसिंग की गतिविधियों के प्रत्येक और हर पैरामीटर को रिकॉर्ड करता है जिसके माध्यम से किसी भी दोष/असंगतता, यदि कोई हो, का पता लगाया जा सकता है और सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

रेलवे के बुनियादी ढांचे में एक और महत्वपूर्ण गतिविधि ओवर हेड उपकरणों की स्थापना है, जिसमें विभिन्न गतिविधियाँ शामिल हैं जैसे कि मास्ट इंस्टॉलेशन, कैंटिलीवर इंस्टॉलेशन और इसके समायोजन तथा कैटेनरी और कांटेक्ट तारों की वायरिंग। डीएफसीसीआईएल ने विभिन्न आधुनिक तरीकों और प्रौद्योगिकी को अपनाया है जैसे कि ओएचई की स्व-चालित औगरिंग, मास्ट फाउंडेशन, मास्ट ग्रैबर, फाउंडेशन कंक्रीटिंग के लिए कंक्रीट ट्रेन, कैंटिलीवर इंस्टॉलेशन और इसके समायोजन तथा एक पूर्ण स्वचालित वाइरिंग ट्रेन के लिए रेल-कम-रोड उन्नत मशीनरी। इसके परिणामस्वरूप, उच्च गुणवत्ता और संरक्षा मानकों को सुनिश्चित करते हुए ओएचई स्थापना के कार्य में 6 ट्रैक किमी. प्रतिदिन की प्रगति हुई है।

मेरी राय में, उपर्युक्त विभिन्न तकनीकों को अपनाने से निर्माण कार्यों में तेजी के साथ-साथ उच्च संरक्षा गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने में सफलता को सुनिश्चित करते हुए परियोजना पूर्ण करने की कुल अवधि को कम किया जा सकता है।

प्रवीण कुमार
समूह महाप्रबंधक/प्रापण/पश्चिमी कोरीडोर
कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली

समस्त भारतीय भाषाओं के लिए यदि कोई
एक लिपि आवश्यक हो तो वह देवनागरी ही हो सकती है।
(जस्टिस) कृष्णस्वामी अय्यर

अधूरे प्रसंग

कुछ अनचाहे प्रसंग
बार–बार मेरे सामने आ जाते हैं
मुझे छूकर चोट पहुंचाकर
छोड़ जाते हैं।
चाहती दूर धकेल दूं उनको
छिपा लूं खुद को उनसे
गर साहस हो जाये निष्प्राण मेरा
तो कर लूं बंद आंखे उनसे
पर सहज नहीं है इतना
इन प्रसंगों को छोड़ पाना
वाक्यों को बिन शब्दों के
माला में पिरो पाना
चाह बस इतनी है अब
मिल जाए कोई संदर्भ ऐसा
जिससे संपूर्ण हो जाए
इस जीवन की व्याख्या।

मैं और मेरा अकेलापन

जब जब चाहा खो जाऊं इस दुनिया में
भीड़ कर गई मुझे अकेला
लगता है कि यह मेला मेरे लिए नहीं है
जब–जब चाहा देकर धक्का ओरों को
बढ़ जाऊं आगे
स्वयं गिर गया अपनी नजरों से
लगता है जीत-हार की प्रतिस्पर्धा
मेरे लिए नहीं हैं।
जब–जब चाहा डूब जाऊं तेरे प्यार की गइराईयों में
रीता रहा तेरे नैनों का समंदर
लगता है स्नेह की यह रसधार मेरे लिए नहीं है।
जब-जब चाहा उड़ना उन्मुक्त इस गगन में
पर काट दिए मरे निर्मम यथार्थ ने
लगता है विस्तृत आकाश में कोई कोना मेरे लिए नहीं है।
जब-जब चाहा खो जाऊं....

सुजाता शर्मा
पत्नी संजय कुमार शर्मा, सहायक प्रबंधक/वित्त
कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली

विविध प्रयोजनों में हिंदी का प्रयोग

(1) कंप्यूटर सहित सभी इलेक्ट्रानिक उपकरणों को खरीदते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि उनमें द्विभाषी अर्थात हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध हो। किसी कंप्यूटर को तभी द्विभाषी माना जाएगा जब उसमें अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में डाटा एन्ट्री की व्यवस्था हो तथा सामग्री इच्छानुसार हिंदी या अंग्रेजी में प्रिंट हो सके।

(2) फाइल कवरों पर शीर्षक:

कार्यालयों में प्रयुक्त समस्त फाइल कवर पर शीर्षक हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखे जाएं। यह भी ध्यान रखा जाए कि विषय पहले हिंदी में लिखा जाए तथा उसके नीचे अंग्रेजी में।

(3) लिफाफों पर पते:

'क' और 'ख' क्षेत्र में भेजे जाने वाले सभी लिफाफों पर पते हिंदी में लिखे जाए तथा 'ग' क्षेत्र को भेजे जाने लिफाफों पर पते द्विभाषी में लिखे जाएं।

(4) कार्यालय की मोहरें, नाम पट्ट, पत्र शीर्ष और लोगो (प्रतीक चिन्ह):

कार्यालयों में प्रयोग में आने वाली सभी रबर की मोहरें और कार्यालय की सील द्विभाषिक रूप में हिंदी के शब्द ऊपर रखते हुए प्रयोग की जाए। इन्हें बनवाते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि उनमें एक पंक्ति हिंदी की हो और फिर एक पंक्ति अंग्रेजी की हो या एक ही पंक्ति में हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में लिखा हो। प्रयुक्त भाषाओं के सभी अक्षर भी समान आकार के होने चाहिए।

उदाहरण

समूह महाप्रबंधक / मानव संसाधन
Group General Manage/HR
डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd, New Delhi

'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के नाम पट्ट, रबड़ की मोहरें, पत्र शीर्ष एवं लोगो (प्रतीक चिन्ह) द्विभाषी में बनवाए जाएं तथा 'ग' क्षेत्र स्थित कार्यालयों में त्रिभाषी (भाषा क्रम-स्थानीय भाषा, हिंदी एवं अंग्रेजी) रूप में बनवाए जाएं।

(5) सम्मेलनों / उद्घाटन समारोहों के साइन बोर्ड, बैनर आदि:

शासकीय रूप से आयोजित किये जाने वाले सभी सम्मेलनों, उद्घाटन समारोहों आदि के समय उपयोग में लाए जाने वाले साइन बोर्ड, बैनर, नाम पट्टिकाओं आदि में हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(6) सरकारी समारोहों के निमंत्रण पत्र:

सभी सरकारी समारोहों के निमंत्रण पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किये जाने चाहिए।

(7) स्टॉफ कार की प्लेटों के नाम:

कार्यालयों की स्टाफ कारों की नंबर प्लेटों पर कार्यालयों के नाम तथा पदनाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखवाए जाएं। ऊपर की पंक्ति में हिंदी और नीचे अंग्रेजी में अंकन होना चाहिए।

(8) विज्ञापन / व्यावसायिक विज्ञापनः

डीएफसी प्रशासन जनहित में अथवा किसी अन्य प्रयोजन की सूचनार्थ समाचार पत्रों या टेलीविजन आदि पर विज्ञापन जारी करता है। ये विज्ञापन व्यावसायिक भी हो सकते हैं। इस प्रकार के कोई भी विज्ञापन हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी होना आवश्यक है।

(9) सेवा पंजियों में प्रविष्टियांः

डीएफसी में कार्यरत सभी श्रेणी के कर्मचारियों व अधिकारियों की सेवा पंजियों में की जाने वाली प्रविष्टियां हिंदी में किया जाना अपेक्षित है।

(10) अनुशासनिक कार्यवाहियाँः

किसी भी कर्मचारी के विरूद्ध यदि अनुशासन के अपील नियमों के अंतर्गत कोई कार्रवाई की जाती है तो उसे मूल रूप से हिंदी में ही करना चाहिए। कई बार कार्रवाई अंग्रेजी में ही कर दी जाती है जो संबंधित कर्मचारी की समझ में नहीं आती और फिर वह उसके अनुवाद की मांग करता है। जिससे समय व श्रम की बर्बादी होती है।

(11) विभागीय बैठकों की कार्यसूची व कार्यवृत्तः

प्रत्येक विभाग में समय-समय पर विभागीय बैठकें आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों की कार्यसूची तथा बैठक के उपरांत तैयार किए जाने वाले कार्यवृत्त द्विभाषी रूप में तैयार करना अपेक्षित है। 'क' क्षेत्र में स्थित विभागों में कार्यसूची एवं कार्यवृत्त केवल हिंदी में बनाए जा सकते हैं।

(12) निरीक्षण रिपोर्टः

प्रत्येक विभाग के सभी श्रेणियों के अधिकारीगण अपने विभागीय निरीक्षणों के लिए समय-समय पर जाते हैं। निरीक्षण के उपरांत उन्हें अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है तद्नुसार, रिपोर्ट हिंदी में तैयार किया जाना अपेक्षित है।

"अखिल भारत के परस्पर व्यवहार के लिए ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे जनता का अधिकतम भाग पहले से ही जानता-समझता है"

महात्मा गाँधी

भारतीय रेल, हमारी रेल

रेल हमारी शान है।
देश का अभिमान है।।

इसका चक्का चलता रहे।
देश आगे बढ़ता रहे।।

रोने की न कभी आह मिले
सबका चेहरा हंसता रहे।।

जीवन है एक सफर, जिसमें रेल से मंजिल पाते हैं।
रेल में सवारी करके, सफर को सरल बनाते हैं।।

अमीर-गरीब सबकी सेवा करती रेल।
देश का मेरूदण्ड कहलाती रेल।।

कभी नहीं है थकती रेल।
दिन-रात चलती रहती रेल।।

उद्योग हो या कारखाने, सबको निंरतर चलाने में।
जाड़ा-गर्मी हर मौसम में, अपना कर्तव्य निभाती रेल।।

पूरब–पश्चिम, उत्तर-दक्षिण, निरंतर तेज दौड़ती रेल।
सेवा की कसौटी पर चलकर, देश का गौरव बढ़ाती रेल।।

देश के हर दुर्गम क्षेत्र को जोड़कर, जीवन को सुखी बनाती रेल।
हम इंसानों की इस नगरी में, इंसानियत का पाठ पढ़ाती रेल।।

मुहम्मद तनवीर खॉन
(आई.आर.एस.ई.)
परियोजना प्रबंधक (इंजी.)
डीएफसीसीआईएल, नोएडा/पूर्वी कोरीडोर

भर्ती/विभागीय परीक्षाओं में राजभाषा संबंधी प्रावधान

रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार सभी भर्ती और विभागीय परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी द्विभाषिक रूप में अनिवार्य रूप से बनवाए जाने अपेक्षित हैं। इस संबंध में बोर्ड द्वारा समय–समय पर जारी किए गए विभिन्न आदेशों का प्रत्येक रेल कार्यालय द्वारा कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए। कई बार पर्याप्त ध्यान न दिए जाने के कारण अनेक संगठनों अथवा कर्मचारियों द्वारा शिकायतें प्राप्त होती हैं जिसके कारण ऐसी परीक्षाओं को पुनः आयोजित करना पड़ता है जिससे समय और श्रम शक्ति दोनों का ह्रास होता है।

प्रायः यह देखा गया है कि विभागीय परीक्षाओं में राजभाषा संबंधी प्रश्नों का चयन करते समय प्रारंभिक स्तर के प्रश्नों को ही शामिल कर उनकी ही आगामी परीक्षाओं में पुनरावृत्ति की जाती है। कर्मचारियों को राजभाषा नीति–निर्देश संबंधी संपूर्ण जानकारी होने के लिए आवश्यक है कि विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं में सरसरी तौर पर प्रश्नों को पूछने की बजाए राजभाषा नीति, नियमों व संवैधानिक उपबंधों तथा गृह मंत्रालय/रेलवे बोर्ड द्वारा समय–समय पर जारी अघतन निर्देशों संबंधी जानकारी भी पूछा जाना वांछित है।

सभी विभागीय परीक्षाओं के दौरान निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखा जाए :–

1. ''क'', ''ख'' और ''ग'' सभी क्षेत्रों में स्थित रेल कार्यालयों द्वारा ली जाने वाली सभी अर्हक और प्रतियोगी परीक्षाओं में, जिनमें तकनीकी और गैर तकनीकी सभी विभागीय परीक्षाएं शामिल हैं, हिंदी माध्यम से उत्तर लिखने की छूट दी जाए, भले ही संबंधित नियम पुस्तकों का हिंदी अनुवाद उपलब्ध है अथवा नहीं। इन परीक्षाओं के लिए आवेदन मांगे जाते समय ही अर्थात प्रारंभ से ही उम्मीदवारों को लिखित रूप में यह स्पष्ट किया जाए कि संदर्भाधीन परीक्षा में हिंदी माध्यम की छूट दी जाएगी। तकनीकी पदों के लिए ली जाने वाली विभागीय परीक्षाओं में अंग्रेजी ज्ञान की परख, जहां आवश्यक हो, अलग से की जा सकती है।

2. तकनीकी और गैर-तकनीकी सभी पदों के लिए ली जाने वाली अर्हक और प्रतियोगी विभागीय परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को केवल सामान्य अंग्रेजी का प्रश्नपत्र छोड़कर अन्य सभी प्रश्नपत्रों के उत्तर हिंदी में देने की छूट होगी। उम्मीदवारों को ऐसे तकनीकी शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी में करने की अनुमति दी जाए, जिनके हिंदी पर्याय उन्हें मालूम न हों। इसी प्रकार जहां जरूरी हो, वहां तकनीकी पुस्तकों आदि से उदाहरण अंग्रेजी में दे सकते हैं।

3. तकनीकी और गैर–तकनीकी सभी विभागीय परीक्षाओं के प्रश्न पत्र अनिवार्यतः द्विभाषी रूप में ही तैयार किए जाएं। प्रत्येक प्रश्न पत्र में हिंदी माध्यम की छूट दिए जाने का स्पष्ट उल्लेख हो।

4. विभागीय चयन के संबंध में ली जाने वाली मौखिक परीक्षा एवं साक्षात्कार में उम्मीदवारों को हिंदी में उत्तर देने की छूट दी जाए। इस आशय की जानकारी उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए भेजे जाने वाले नोटिस पत्र में लिखित रूप से अवश्य दी जाए। यह छूट प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण के उपरांत ली जाने वाली मौखिक परीक्षाओं पर भी लागू होती है।

5. पदोन्नति के लिए ली जाने वाली विभागीय परीक्षाओं जिनमें तकनीकी और गैर–तकनीकी सभी परीक्षाएं शामिल हैं, राजभाषा नीति एवं नियमों से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएं। इस प्रयोजन के लिए कर्मचारियों की व्यावसायिक योग्यता की जांच के लिए निर्धारित कुल अंकों में से 10 प्रतिशत अंक राजभाषा नीति एवं नियमों से संबंधित प्रश्नों के लिए निर्धारित कर दिए जाएं। राजभाषा नीति एवं नियमों से संबंधित सभी प्रश्न मुख्य राजभाषा अधिकारी द्वारा अथवा उनके परामर्श से तैयार किए जाएं।

6. सभी विभागीय परीक्षाओं के परिणाम हिंदी अंग्रेजी द्विभाषिक रूप में प्रदर्शित/ प्रकाशित किए जाएं।

7. क्षेत्रीय एवं तकनीकी प्रशिक्षण स्कूलों के पाठ्यक्रमों में राजभाषा विषय सम्मिलित किया जाए, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षार्थियों को यथा संशोधित राजभाषा अधिनियम के

विभिन्न प्रावधानों और राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 की जानकारी कराई जाए। प्रशिक्षण के पश्चात ली जाने वाली परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी अनिवार्यतः हिंदी–अंग्रेजी द्विभाषी रूप में छपवाए जाएं इन परीक्षाओं में हिंदी माध्यम का विकल्प दिए जाने के अलावा, अन्य प्रश्नों के साथ 15 अंकों का एक प्रश्न राजभाषा अधिनियम और नियमों से संबंधित भी पूछा जाए, जिसका उत्तर देना अनिवार्य हो।

8. प्रत्येक प्रकरण बोर्ड में कम से कम एक अधिकारी ऐसा रखा जाए, जिसे हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान हो।

9. **किसी भी विभागीय परीक्षा में, चाहे वह तकनीकी हो अथवा गैर तकनीकी, यदि प्रश्न पत्र द्विभाषी रूप में तैयार नहीं किया जाता अथवा हिंदी माध्यम का विकल्प नहीं दिया जाता तो उस परीक्षा को नियम विरूद्ध माना जाए और उसे समक्ष प्राधिकारी द्वारा रद्द भी किया जा सकेगा।**

मेरा आग्रहपूर्वक कथन है कि अपनी सारी मानसिक शक्ति हिन्दी के अध्ययन में लगावें।

विनोबा भावे

खिलौना

शालिनी अपने पाँच साल के बच्चे साहित्य के साथ बैठी हुई खेल रही थी। दोनों मस्ती के मूड में थे। बिस्तर पर ढेर सारे खिलौने बिखरे हुए थे- ट्रांसफॉर्मर, शक्तिमान, आयरन मैन, थोर, अवेंजेर्स, डॉक्टर सेट, ट्रेन सेट, ट्रक, कारें, किचेन सेट और डॉल भी... तमाम तरह के खिलौने और उनसे जुड़े तमाम तरह के एहसास... दरअसल किसी भी बच्चे के लिए खिलौने सिर्फ खिलौने भर होते कहां हैं! उन बेजान खिलौनों में सांस लेता है उनसे खेलने वाले बच्चों का बचपन, उनके मासूम से एहसास, उनके भोल-भाले राज और जिंदगी को देखने-सीखने-समझने का एक अलग और अनूठा ढंग। सिर्फ खेल के सहभागी ही नहीं होते ये खिलौने उनके लिए, कई अहम सबक, कई आदतें, कई संस्कार इन्हीं संग खेल-खेल में सीख जाते हैं ये बच्चे। और ये साहित्य इसे तो हमेशा इन खिलौनों के बीच बने रहना है। इतना ही नहीं, मां को तो हर गेम में उसका पार्टनर बनना है। शालिनी ने भी हर खेल में उसका बढ़–चढ़कर साथ दिया है। मां का साथ पाकर साहित्य बड़ा खुश रहता है, क्योंकि शालिनी भी उसके साथ-साथ खेल में अपनी उम्र से पीछे जाकर बच्ची सरीखी ही बन जाती थी। हालांकि साहित्य जैसी ऊर्जा तो उसके पास नहीं थी कि वह उसके जितना उछल-कूद कर पाती, लेकिन फिर भी साहित्य का साथ देने का प्रयास करती रहती। इस समय भी वह यही कर रही थी।

सात बाय छह फिट का किंग साइज बेड साहित्य के उछलने के लिए काफी था। बिछी हुई बेडशीट सिकुड़ कर अस्थमा के मरीज की सांस की नलियों की तरह हो गई थी और गद्दे की हालत त्रिशंकु जैसी हो रही थी, जो न बेड पर था न जमीन पर।

साहित्य ने मां से जिद की, ''मम्मा! आप आयरन मैन बनो और मैं थॉर बनता हूं।''

शालिनी थोड़ा सोच में पड़ गई। एक वुमेन और वह भी आयरन मैन... फिर उसने सोचा, क्यों नहीं ट्राई करने में क्या जाता है। उसने आयरन मैन का मास्क पहन कर देखा तो एक बार फिर से सोच में पड़ गई। उसे लगा कि मास्क लगाने से कितना फर्क पड़ गया है। सब कुछ वहीं, पर एक मास्क-भर का प्रभाव ऐसा था कि शालिनी खुद को नहीं पहचान पा रही थी।

शालिनी को लगा कि समाज भी शुरू से मास्क ही तो पहना देता है सभी को। फिर किसी न किसी खांचे में फिट करके रख दिया जाता है... उसने एक उड़ती नजर आसपास बिखरे खिलौनों पर दौड़ाई... अब इन खिलौनों को ही ले लें तो बचपन से ही इनके जरिए एक मास्क पहनाना शुरू कर दिया जाता है। लड़का है तो यह खिलौना, लड़की है तो वह खिलौना। इस गुडिया और किचेन सेट को देखो तो जब भी कोई उसे साहित्य के साथ इनसे खेलता देखता है तो एक बार तो उसका टोकना तय है। जैसे इसी उम्र से यह तय कर देना है कि लड़के तो डॉक्टर किट से खेल कर ही डॉक्टर बनते हैं और किचेन संभालना ठहरा लड़कियों का काम... मतलब इंसान न हुए, कोई मशीन हो गई, जिसकी प्रोग्रामिंग शुरू में कर दी जाती है और फिर जिंदगी-भर उसी के हिसाब से चलना है, रुकना है। अगर कभी किसी ने इस बने-बनाए खांचे को तोड़ने की कोशिश तक की तो वह समाज के प्रश्नों से भरे व्यूह में दाखिल होने से कम नहीं है। समाज की यह सोच चिढ़ाती है शालिनी को, जिसका मुंह तोड़ जवाब उसने अपने तौर पर साहित्य को ये खिलौने लाकर दिए।

बहरहाल, अपनी सोच पर विराम लगाकर वह साहित्य के साथ आयरन मैन और थॉर का खेल खेलने लगी। साहित्य ने हाथ में थॉर का हथौड़ा ले रखा था, जिसके आगे सभी हथियार फेल हो जाने थे। मतलब, आयरन मैन कुछ भी कर ले उसे थॉर के सामने घुटने ही टेकने थे। शालिनी को यह भी एक तरह की दिमाग की प्री-कंडीशनिंग लग रही थी कि

लड़े बिना ही ये तय हो जाए कि विजेता कौन बनेगा...

मां को विचारों में खोया देखकर साहित्य बोला, ''मम्मा! क्या कर रही हो? बचाओ खुद को, नहीं तो थॉर नहीं छोड़ेगा।''

शालिनी मानो नींद से जागी, ''हां बेटू!''

''बेटू नहीं,थॉर।'' साहित्य ठुनका।

''बचाओ खुद को थॉर, यह रही मेरी लेजर गन से निकली हुई लेजर्स।'' आयरन मैन का मास्क पहने हुए शालिनी बोली।

''थॉर को कोई नहीं हरा सकता है। मैं हूं थॉर, दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा थॉर।'' थॉर बना साहित्य बोला। फिर जुबान से च्च च्च च्च च्च शू सू च च जैसी कुछ अजीब सी अवाजें निकालता हुआ आयरन मैन की तरफ दौड़ा।

शालिनी को एडवांस में की गई जीत की ये घोषणा कुछ जंची नहीं। वह साहित्य को समझाने लगी ''बेटा किसी गेम में पहले से हार और जीत फिक्स नहीं कर सकते हैं। वह तो गेम खेलने के बाद ही पता चलेगा न।''

लेकिन साहित्य कुछ भी मानने को तैयार नहीं था।

साहित्य की मासूमियत देखकर शालिनी का मन पसीज गया। अपने मासूम बच्चे की छोटी सी खुशी के लिए वह इतना तो कर ही सकती है। यह सोचकर वह खड़ी हो गई और आयरन मैन का मास्क पहन कर मैदान-ए-जंग में आ गई। शालिनी तैयार थी हारने के लिए, क्योंकि उसे पता था कि तभी छुटकारा मिलने वाला है, साहित्य के सुपरमैन वाले गेम से। बहुत देर तक मां-बेटे आयरन मैन और थॉर बने लड़ते भिड़ते रहे। परिणाम जैसा होना था, वैसा ही हुआ, आयरन मैन की हार हुई और शालिनी को राहत।

शालिनी ने तनिक सा आराम करने के लिए सोफे पर टेक ली ही थी कि साहित्य ने आकर उसका माथा सहलाना शुरू कर दिया और बोला, ''ममा, आप थक गए न। मैं आपके चाय बना कर लाता हूँ। ओके?''

''ओके छोटू'' शालिनी ने लाड़ से कहा और साहित्य का माथा चूम लिया।

साहित्य जाकर अपने किचेन सेट के साथ शालिनी के लिए चाय बनाने के खेल में जुट गया। अभी शालिनी जरा देर के लिए आंखे बंद करने की सोच ही रही थी कि डोर बेल बज गई। अब कौन आ गया इस समय? एक मिनट बाद फिर घंटी बजी। शालिनी उठी और जाकर दरवाजा खोला। सामने उसकी मम्मी खड़ी थीं। मां को देखकर स्वागत के लिए मुस्कान का बड़ा सा बल्ब चेहरे पर जल गया। इतने दिनों बाद एक-दूसरे से मिलने की खुशी दोनों के चेहरे पर दिखाई पड़ रही। शालिनी ने मां को सोफे पर बिठाकर साहित्य को आवाज दी, ''बेटू! देखो नानू आई हैं।''

नानू को आया जानकर साहित्य दौड़ता हुआ आया और साथ में किचन सेट लेता आया। बोला, ''नानू! आप दूर से आई हैं ना। आपको भूख लग गई होगी। मैं आपको खाना बनाकर खिलाता हूं या पहले आपके लिए भी चाय बना दूं?''

नानी अपने नाती की बातों पर निहाल हुई जा रही थीं। बोलीं, ''न मेरा शोना बेबी क्यों खाना बनाएगा! और ये क्या.. तुम किचेन सेट से क्यों खेल रहे हो! यह तो हम औरतों का काम है। मेरा बेबी तो बड़े-बड़े काम करेगा।''

नानी की बात साहित्य को समझ में नहीं आई तो वह शालिनी की ओर देखने लगा।

शालिनी ने तुरंत मां को टोकते हुए कहा, ''नहीं मां, किचेन का काम कोई छोटा-मोटा थोड़ी होता है और ये सारे काम भी सिर्फ औरतों को नहीं मर्दों को भी आने चाहिए। हम हमेशा कहते हैं न कि बेटे-बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए, लेकिन जाने-अनजाने ये फर्क हम खुद ही सिखा देते हैं इस तरह की बातों से। आज के टाइम में अगर हम बेटियों के लिए बेहतर दुनिया और सुरक्षित समाज चाहते हैं तो उसकी शुरुआत भी हमें अपने ही घरों से करनी पड़ेगी।''

''लेकिन उस बदलाव या सोच का भला इन खिलौनों से क्या वास्ता। क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि साहित्य गुडिया या किचेन सेट से खेले तो? भला लोग क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात, क्या साहित्य के मानसिक विकास पर असर नहीं पड़ेगा?''

''बिल्कुल पड़ेगा मां, लेकिन सकारात्मक। जहां तक बात है लोगों की तो जब भी औरतों को दोयम दर्जे का समझा जाता है तो यही समाज बड़ी-बड़ी आदर्शवादी बातें करता है। उस वक्त लोग ये भूल जाते हैं कि किसी भी आदर्श या बदलाव

की शुरुआत अपने घर से होती है। हम बेटों के हाथ में पतंग की डोर थमाकर उसे आसमान में ऊँचा उड़ना तो सिखा देते हैं, लेकिन तभी बेटी के हाथ में गुडिया और किचेन सेट थमाकर उसके दायरे तय कर देते हैं। फिर हम इस बात की शिकायत क्यों करते है। कि आज भी बेटियों को समाज में हीन समझा जाता है। आज तो बेटियां को समाज में हीन समझा जाता है। आज तो बेटियां घर-बाहर ही नहीं संभाल रही हैं, बल्कि समाज के लिए भी किसी न किसी रूप में योगदान कर रही हैं। तब क्या समाज का ये फर्ज नहीं बनता कि वह भी अपनी सोच को बदले?''

''ठीक है बेटी तुम्हारी बात अपनी जगह, लेकिन इससे बच्चे का मानसिक विकास प्रभावित नहीं होगा?''

''होगा मां, लेकिन वह इस रूप में होगा कि वे किसी भी काम को, चाहे वे किचेन में बर्तन धोना ही क्यों न हों, कभी छोटा नहीं समझेंगे। वे यह बात भी समझेंगे कि लड़कियों का भी समाज में वही स्थान है, वही अहमियत है, जो लड़कों की है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो लड़का-लड़की को एक-दूसरे की तुलना में कम या ज्यादा बनाए। अगर बेटी बाहर काम करके अपने परिवार में आर्थिक योगदान दे सकती है तो बेटे भी चाय बना सकते हैं।''

इतनी देर से कभी मां और कभी नानी की और मासूमियत से देखता साहित्य अचानक बोल पड़ा, ''तो फिर में ममा के साथ-साथ पहले आपके लिए भी चाय बनाकर ले आता हूं तब तक, क्योंकि खाना बनने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा न''

''ठीक है मेरे बच्चे, पर मेरी चाय थोड़ी स्ट्रांग बनाना और चीनी बिल्कुल जरा सी डालना।''

''ठीक है नानी, थोड़ी अदरक भी डाल दूं। सर्दियों में चाय में अदरक पीने से खांसी-जुकाम नहीं होता न!''

''ये किसने बताया?'' शालिनी की मम्मी सुखद आश्चर्य से बोलीं।

''ममा ने बताया था।'' साहित्य ने कुछ न समझते हुए शालिनी की और देखा।

''ममा, इज इट करेक्ट न?''

''येस बेटा, इट इज करेक्ट।'' जवाब शालिनी की बजाय उसकी मम्मी ने दिया।

फिर उनकी और शालिनी की नजर पल-भर को मिली और फिर दोनों ही ठहाका लगाकर हंस पड़ीं।

साहित्य अपनी ममा और नानू के लिए चाय बनाने में तल्लीन था, स्ट्रांग और कम चीनी वाली..

तेज प्रताप नारायण
अपर महाप्रबंधक/विद्युत,
कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली

''राष्ट्रीय व्यवहार में हिन्दी को काम में लाना देश की शीघ्र उन्नति के लिए आवश्यक है।''
महात्मा गाँधी

भ्रष्टाचार

बदल रही हैं सरकारें
बदल रहे हैं लोग
जड़ से नहीं मिट रहा लेकिन
ये भ्रष्टाचार का रोग
जब हम छोटे बच्चे थे
अक्ल के थोड़े कच्चे थे
पापा बोलते थे हमसे
बोल दो नहीं हूं घर पे
झूठ बोलना सीखा घर से
भ्रष्टाचार का बीज बोया मन में
जब जाते थे घूमने होकर गाड़ी पर सवार
हो जाता कहीं रेड लाइट पार
सौ रुपये का नोट बना जब तारणहार
बालमन पर छप गया ये रोचक व्यापार
फाइल आगे बढ़ानी हो
डॉक्टर को दिखाना हो
लाइन में आगे जाना हो
टीचर से नंबर पाना हो
अपना ही काम करवाना हो
रुपया आगे जाता
फिर हम उसके पीछे
विस्तृत होता था बालमन
रुपये को शत्-षत् नमन
भ्रष्टाचार का कोई किस्सा है।
या संस्कृति का हिस्सा है
भ्रष्टाचार मिटेगा कैसे
बच्चों को मिलती हो जब सीख जैसे
''ठीक है'' चलता है नार्मल है
ऐसे वातावरण में जीते हैं।
और अति होने पर
भ्रष्टाचार पर रोते हैं।
आओ ऐसा महौल बनाते हैं।
जहां भ्रष्टाचार हतोत्साहित हो
और ईमानदारी प्रोत्साहित हो
जहां झूठ न बोलना पड़े बच्चों से
और आंख न चुरानी पड़े अपनों से।

सपना
कार्यकारी/सतर्कता
कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली

त्याग व समर्पण की अनुभूति है प्रेम

प्रेम क्या है ? एक कोमल अहसास, सुखद अनुभूति, अंतर्मन को छूने की कला। शायद इसी का नाम है प्रेम। यूं तो प्रेम को किसी शब्दों की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। प्रेम समुद्र की गहराई की तरह विशाल है। जिस तरह समुद्र की गहराई को कोई नाप नहीं सकता उसी प्रकार प्रेम का संसार भी विस्तृत है। हर किसी का इस संसार से पार पाना मुश्किल है। संसारी मनुष्य के सारे क्रियाकलाप-भागदौड़ हर वस्तु प्रेम पर ही तो केंद्रित है। हर युग में इसका वर्णन अलग–अलग ही देखने को मिला है। त्रेतायुग में भगवान श्री राम का अलौकिक प्रेम था तो द्वापर युग में श्री कृष्ण ने अलौकिक प्रेम के साथ समर्पण और त्याग के रूप में बताया। प्रेम के विरह रूप का वर्णन रामायण के एक प्रंसग में भी मिलता है। अशोक वाटिका में माता-सीता हनुमान के बीच हुए संवाद में प्रेम का अलौकिक वर्णन मिलता है। सीता कहती हैं कि हे दीनानाथ जब अयोध्या में एक कौवे ने भूलवश मेरे पैर में चोंच मारने का अपराध किया था तो आपने उस कौवे को मारने के लिए बाण छोड़ा था, जान बचाने के लिए वह तीनों लोक में शरण लेने पहुंचा, लेकिन उसे कहीं शरण नहीं मिली और अंत में वह फिर से आपकी शरण में आया तो आपने उसे क्षमा कर दंड स्वरूप उसकी एक आंख फोड़ उसे काना कर दिया था। जब कौवे के इतने से अपराध पर आप इतना क्रोधित हो सकते हैं, तो मुझ तक पहुंचने में इतनी कठिनाई क्यों ? माता सीता से इतना प्रेम करने के बावजूद भगवान श्रीराम को भी प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई। आदर्श और मर्यादा की स्थापना को भगवान श्रीराम ने माता सीता का त्याग किया और अंत में धरती में समा गईं। करूणा और वेदना रूपी यह प्रेम संसारी मनुष्य के समझ से परे हैं। द्वापर युग में भी भगवान श्रीकृष्ण की कई लीलाओं में प्रेम के कई उदाहरण मिलेंगे। इनमें सर्वोत्तम स्थान राधाकृष्ण के प्रेम का है। प्रेम राधा से करने के बाद भी कृष्ण को राधा नहीं मिलीं और उनका विवाह रुकमणी से हुआ। संसार प्रेम के ऐसे अनेक उदाहरणों से भरा हुआ है, लेकिन आधुनिकता के प्रेम में इस प्रेम का समावेश नहीं मिलता आज का प्रेम बंधन में जकड़ा हुआ है। भोग विलास और शारीरिक आकर्षण को ही मनुष्य ने प्रेम समझने की भूल कर ली है। इसके नतीजे सबके सामने हैं। शादी से पहले साथ जीने मरने की कसमें खाने वाले प्रेमी युगल शादी होने के कुछ समय बाद ही अलग-अलग होने का फैसला ले-लेते हैं। हांलाकि अभी ऐसे उदाहरण ज्यादा नहीं हैं, लेकिन ऐसे उदाहरण कम भी नहीं हैं। आज जरूरी है प्रेम की परिभाषा को बदला जाए। कुछ अपने पूर्वजों व ग्रंथों का अनुसरण किया जाए, क्योंकि प्रेम मुक्ति और स्वतंत्रता के आकाश में ही खिलता है। प्रेम वह स्थिति है जहां सारे विचार, सारी इच्छाएं सिमट कर एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं। अंत में इतना ही कहूंगा कि प्रेम को समझना है तो इतना ही समझो कि प्रेम वह है जहां त्याग व समर्पण है, अपने पराये का भेद नहीं है। कुछ है तो सिर्फ एक दूसरे में बिना स्वार्थ खोने की चाहत। यही प्रेम जब अपने शुद्ध रूप में प्रकट होता है तो यह मंदिर बन जाता है और यही प्रेम जब सफलता का आकाश चूमता है तो जीवन का सार बन जाता है।

राकेश सुन्द्रियाल
कार्यालय सहायक (आउट-सोर्स)
सेमू/कार्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली

कब बड़े हो गए हम

जिंदगी जीने की उधेड़ बुन में ऐसे खो गए हम
पता ही न चला कब बड़े हो गए हम।।

पहले जीते थे सारी खुशियां मुस्करा कर
अब तो बस उदासियों के पिंजरों में कैद हो गए।।

कभी पहन कर घूमते थे इन्द्रधनुष हमेशा
अब अधूरी उम्मीदों में कफन में बंधना सीख गए
पता ही न चला कब बड़े हो गए हम।।

याद हैं हमें कि उस दिन, छोटी सी बात पर रो-रो कर घर भर दिया था
आज बड़ी से बड़ी बात पर भी अकेलेपन के झरोखों में डूब गए हैं हम।।

झूठी दुनिया के लिए ऐसे भागे जा रहे हैं
जिंदगी की असली खुशी ही भूले जा रहे हैं।।

दिखावे की दुनिया में ऐसे दब गए हम
कि सुकून को अपने ही दिल में दफना गए हम।।

जिंदगी जीने की उधेड़ बुन में ऐसे खो गए हम।।
पता ही न चला कब बड़े हो गए हम।।

अमित सक्सेना
कार्यालय सहायक (आउट-सोर्स), राजभाषा
कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली

फाइलों पर लिखी जाने वाली टिप्पणियां	
Administrative approval may be obtained	प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाए।
Administrative approval is accorded	प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।
Put up draft reply	उत्तर का मसौदा प्रस्तुत करें।
Fix a date for meeting	बैठक की तिथि तय करें
Delay should be avoided	विलंब न होने दें।
Please comment on the technical suitability of all the offers	कृपया सभी प्रस्तावों की तकनीकी उपयुक्तता पर टिप्पणी करें।
Please comply	कृपया अनुपालन करें।
Payment to be arranged	भुगतान की व्यवस्था करें।
Budget provision exits	बजट में व्यवस्था है।
Submitted for perusal & further orders please	अवलोकन एवं अगले आदेशों के लिए कृपया प्रस्तुत.
Discrepancy may be reconciled	विसंगति का समाधान किया जाए।
Administrative action may be taken	प्रशासनिक कार्रवाई की जाए।
Consolidated report may be furnished	समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
Close the case	मामला बंद कर दें।
Acknowledge receipt of the letter	पत्र की पावती भेजें।
Address to all concerned	सर्व संबंधित को लिखा जाए।
Approved 'A' & 'B' only	केवल 'क' व 'ख' अनुमोदित।
I agree with 'A' above	मैं ऊपर 'क' से सहमत हूँ।
Permission granted	अनुमति प्रदान की जाती है।
Redraft please	मसौदा पुनः तैयार करें।
Please attach relevant papers	कृपया संबंधित कागज साथ लगाएं।
Consolidated report may be furnished	समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
Orders may be issued	आदेश जारी कर दिया जाए।
Financial concurrence is accorded	वित्तीय सहमति दी जाती है।
Draft letter is approved	मसौदा-पत्र अनुमोदित किया जाता है।
Reply be put up from my side	मेरी ओर से उत्तर प्रस्तुत किया जाए।
Please collect and put up	कृपया एकत्रित करें और प्रस्तुत करें।
Give details	विस्तृत विवरण दें।
Please expedite compliance	कृपया शीघ्र अनुपालन करें।
May kindly see before issue	जारी करने से पहले कृपया देख लें।

अधिकारियों द्वारा फाइलों पर लिखे जाने वाले कुछ आदेशों एवं टिप्पणियों के नमूने	
1. अनुमोदित	Approved
2. स्वीकृत/मंजूर	Sanctioned
3. मैं सहमत हूँ	I agree
4. सहमति है	Agreed
5. कृपया बात करें	Please speak
6. कृपया चर्चा करें	Please discuss
7. फाइल पर प्रस्तुत करें	Please put up on file
8. कृपया सभी संबंधित को सूचित करें	Please advise all concerned
9. खेद है	Regret
10. कृपया जांच करें	Please check up
11. कृपया स्पष्ट करें	Please explain
12. हिंदी रूपांतर भी भेज दिया जाए	Hindi version may also be sent
13. कृपया जारी करें	Please issue
14. कृपया पावती दें	Please acknowledge receipt
15. कृपया अनुस्मारक/स्मरण–पत्र भेज	Please issues reminder
16. देख लिया और बात कर ली	Seen and spoken
17. ठीक है	O.K
18. कृपया विवरण का सत्यापन करें	Please verify the details
19. कृपया अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें	Please ensure compliance of the instructions
20. बैठक का कार्यवृत्त जारी करें	Issue minutes of the meeting
21. संशोधित पत्र की प्रति संलग्न की जाए	Copy of the revised letter may be enclosed
22. उक्त पत्र को अति आवश्यक समझा जाए	The above letter may be treated as most urgent

कॉर्पोरेट कार्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों का आयोजन

नराकास दिल्ली उपक्रम–2 के तत्वावधान में डीएफसीसी द्वारा आयोजित तकनीकी हिन्दी कार्यशाला का परिदृश्य

कवि सम्मेलन की झलकियाँ

www.chirnajn.com